मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.2010 से 31.12.2010

भाग–एक

1 **गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनः–**

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी प्रशासन द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु वांछित कार्यवाही नहीं की गई हैं फलस्वरूप अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्तियों का कई वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी समायोजन/निपटारा सम्भव नहीं हो सका है। अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई अत्यन्त गम्भीर आपत्तियों के निरस्तीकरण हेतु मन्दिर न्यास द्वारा कोई प्रभावी कार्यवही न करना स्वतः ही चिन्ताजनक है जबकि आयुक्त (मन्दिर) एवम् जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला की अध्यक्षता में दिनांक 18.6.2010 की बैंठक की कार्यवाही की मद सं0 3 के अन्तर्गत मन्दिर अधिकारी ज्वालाजी को एक मास के अन्दर अनिर्णीत आपत्तियों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए थे लेकिन इस सन्दर्भ में अभी तक कोई कार्रवाई की जानी प्रतीत नहीं होती। अतः प्रधान सचिव, भाषा एवं संस्कृतिक विभाग/मुख्यायुक्त मन्दिर के विशेष ध्यानार्थ यह प्रकरण पुनः इस आशय से लाया जाता है कि मन्दिर न्यास के सभी आयुक्तों, सहायक आयुक्तों एवं मन्दिर अधिकारियों कों गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों व वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्तियों के निपटारे हेतु समयबद्ध ढ्रंग से अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु उचित निर्देश देने की अनुकम्पा करें ताकि गत कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े अनुच्छेदों का समायोजन सम्भव हो सके अन्यथा अंकेक्षण का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 7.3.1987 से 31.12.95

पैरा–3 (क)	अनिर्णीत	(₹2608.82 रोकड़ वही के योग में कम दर्शाना व रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने बारे)
पैरा–4 (क)	अनिर्णीत	(राशि ₹887011/–का बारीदारों को भोग की राशि से अनाधिकृत भुगतान)
पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत	(बारीदारों को ₹37180/–का अधिक भुगतान)
पैरा–5 (क) (3)	अनिर्णीत	(धरातल में मिटटी की खुदाई बारे एवं ₹6840/–अधिक भुगतान बारे)
पैरा–5 (क) (4) (1)	अनिर्णीत	(अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मदो की स्वीकृति प्राप्त

		न करने बारे)
पैरा–5 (क) (5)	अनिर्णीत	(अधिक बिल मद संख्या 6 स्टोन फिलिंग के रूप में राशि ₹114658.23/–अधिक भुगतान बारे)
पैरा–5 (क) (6)	अनिर्णीत	(मद संख्या 7 स्टील के रूप में ₹148100/–अधिक भुगतान बारे)
पैरा–5 (क) (17)	अनिर्णीत	(राशि ₹19896/–की आयकर की कम कटौती बारे)
पैरा–5 (ख) (3)	अनिर्णीत	(राशि ₹576/–की कम कटौती बारे)
पैरा–5 (ग) (1)	अनिर्णीत	(अनुबन्ध की धारा 10–सी के अन्तर्गत ₹93230/–का ठेकेदार मैसर्ज विनय कुमार, राकेश कुमार को अधिक भुगतान बारे)
पैरा–5 (ग) (2)	निर्णीत	(मूल प्रतिवेदन में 5 (ग) (2) कोई पैरों नहीं अतः इसे समाप्त समझा जाए)
पैरा–5 (ग) (5)	निर्णीत	(मूल प्रतिवेदन में 5 (ग) (5) कोई पैरों नहीं है अतः इसे समाप्त समझा जाए)
पैरा–5 (ग) (6)	निर्णीत	(मूल प्रतिवेदन में 5 (ग) (6) कोई पैरों नहीं है अतः इसे समाप्त समझा जाए)
पैरा–5 (घ) (1)	अनिर्णीत	(मनोदीप सत्संग भवन के निर्माण कार्य में पाई गई गम्भीर अनियिमितताओं बारे)
पैरा–5 (घ) (2)	अनिर्णीत	(₹14491/–कम कटौती के कारण संविदाकार श्री राकेश कुमार बंटा को अधिक भुगतान)
पैरा–5 (घ) (5)	अनिर्णीत	(₹132.60/– का अधिक भुगतान)
पैरा–5 (घ) (6)	अनिर्णीत	(₹837/–की वसूली न करने बारे)
पैरा–5 (ड़) (2)	अनिर्णीत	(₹4699.50/– की कम कटौती से संविदाकार को अधिक भुगतान)
पैरा–5 (च) (1)	अनिर्णीत	(₹8890.81/–का अधिक भुगतान)
पैरा–5 (च) (2)	अनिर्णीत	(₹571.85/– का अधिक भुगतान)
पैरा–5 (ज) (1)	अनिर्णीत	(संगमरमर पत्थर की खरीद में पाई गई अनियमितताओ बारे)
पैरा–5 (ज) (3)	अनिर्णीत	(संगमरमर पत्थर गत वर्ष की तुलना में उच्च दरों पर क्रय करना)
पैरा–5 (ज) (4)	अनिर्णीत	(₹380/–टोल टैक्स के रूप में ठेकेदार को गलत भुगतान)
पैरा–5 (ज) (5)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर में संगमरमर पत्थर की कम मात्रा दर्शाना 9.90 वर्ग फुट)

पैरा–5 (ज) (6)	अनिर्णीत	(संगमरमर पत्थर की खपत अत्याधिक दर्शाना)
पैरा–5 (झ)	अनिर्णीत	(₹5039/–का अधिक भुगतान करने बारे)
पैरा–5 (ड़)	अनिर्णीत	(₹1039/–का संविदाकार श्री सतीश कुमार को अधिक भुगतान)
पैरा–5 (ढ़)	अनिर्णीत	(आयकर, सरचार्ज तथा बिक्रीकर की कम कटौती से संविदाकारों को राशि ₹93377/–का अधिक भुगतान)
पैरा–5 (ण)	अनिर्णीत	(स्टॉक अकाउंट (निर्माण) व स्टॉक अकाउंट (सामान्य) तैयार न करने बारे)
पैरा–5 (ण) (1)	अनिर्णीत	(79 सीमेन्ट बैग का दुर्विनियोजन)
पैरा–5 (ण) (2)	अनिर्णीत	(डिसटैम्पर का संदिग्ध दुर्विनियोजन)
पैरा–5 (ण) (3)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 3 पृष्ठ 210 में 600 ईटें कम दर्शाने बारे)
पैरा–5 (ण) (4)	अनिर्णीत	(रसीद संख्या 1226 दिनांक 29.8.93 में एक बोरी सीमेन्ट को योगफल में न दर्शाना)
पैरा–5 (ण) (5)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 5 पृष्ठ 25 का वास्तविक तथ्यों के आधार पर अभिलेख तैयार न करने बारे)
पैरा–5 (ण) (6)	अनिर्णीत	(चारकोल अकाउंट ₹1237/–की वसूली बारे)
पैरा–5 (ण) (7)	अनिर्णीत	(खपत योग्य सामान स्टॉक रजिस्टर में सामान की खपत में अनियमितता बारे)
पैरा–5 (ण) (8)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 3 पृष्ठ 132 में 21 लीटर पैन्ट का दुर्विनियोजन)
पैरा–5 (ण) (9)	अनिर्णीत	(13 सीमेन्ट की बकाया मात्रा का कम दर्शाने बारे)
पैरा–5 (ण) (10)	निर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर 11 पृष्ठ 20 में टार्च अकाउंट में दर्ज)
पैरा–5 (ण) (11)	निर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर 6 पृष्ठ 21 पर बाल्टियॉ दर्ज है)
पैरा–5 (ण) (12)	अनिर्णीत	(टी0 एण्ड पी0 रजिस्टर का तैयार न करना)
पैरा–5 (ण) (13)	अनिर्णीत	(नॉन कन्जयूमेवल वस्तुओं का स्टॉक से खारिज करने बारे)
पैरा–5 (ण) (14)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 10 पृष्ठ 2 में तालों के अकाऊंट बारे)
पैरा–5 (ण) (15)	अनिर्णीत	(स्थानांतरित निर्माण सामग्री की स्थानातरण प्रविष्टि न करना)
पैरा–5 (ण) (16)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 154–55 के अनुसार 20 एम0एम0 डाया सरियों की बकाया मात्रा 1365.23

		कि0ग्रा0 दुर्विनियोजन बारे)
पैरा—5 (ण) (17)	अनिर्णीत	(यात्री निवास सामग्री स्टॉक लेखों बारे)
पैरा—5 (ण) (18)	अनिर्णीत	(₹37400 / —की सीमेन्ट की वसूली बारे)
पैरा—5 (ण) (19)	अनिर्णीत	(स्क्रेप का लेखा जोखा न रखने बारे)
पैरा—6 (क)	अनिर्णीत	(850 ग्राम 030 मिली ग्राम सोना तथा 18 किलो 283 ग्राम 400 मिली ग्राम चांदी को स्टॉक में लेखा न रखने बारे)
पैरा—6 (ग)	अनिर्णीत	(गल्लों में चांदी चढ़वाना तथा दरवाजों की मुरम्मत करवाने बारे)
पैरा—6 (घ)	अनिर्णीत	(चांदी के बर्तन बनवाने बारे)
पैरा—6 (ज)	अनिर्णीत	(33 ग्राम नंगों की स्टॉक प्रविष्टि न दर्शाने बारे)
पैरा—6 (झ)	अनिर्णीत	(मन्दिर में प्राप्त सोने की मात्रा 43 ग्राम 400 मिली ग्राम व चांदी की मात्रा 1 किलो 143 ग्राम 500 मिली ग्राम को स्टॉक में न दर्शाने बारे)
पैरा—7 (क)	अनिर्णीत	(अवधि 7.3.87 से 12.8.89 तक प्राप्त फटे पुराने नोटो का लेखा अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे)
पैरा—9 (ग)	अनिर्णीत	(दिनांक 31.12.95 तक भदन आय प्राप्ति का अभिलेख तैयार करने बारे)
पैरा—9 (घ)	अनिर्णीत	(एकत्रित आय को देरी से जमा करवाना व एकत्रित आय की उगाही तिथि न दर्शाने बारे)
पैरा—9 (च)	अनिर्णीत	(प्रतिभूति राशि का जमा न किया जाना व इसका गबन करने बारे)
पैरा—9 (छ)	अनिर्णीत	(₹6611 / —का कम ब्याज लगाये जाने बारे)
पैरा—9 (प)	निर्णीत	(₹145 / —की वसूली रसीद संख्या 15533 दिनांक 16.11.11 द्वारा कर दी गई है।)
पैरा—9 (ब)	अनिर्णीत	(वस्त्रों की निलामी बारे)
पैरा—9 (भ)	निर्णीत	(₹168 / —की वसूली रसीद संख्या 15533 दिनांक 16.11.11 द्वारा की गई है)
पैरा—9 (य)	अनिर्णीत	(₹3930 / —की वसूली बारे)
पैरा—9 (र)	अनिर्णीत	(दुकान किराया लेखे बारे)
पैरा—9 (ष)	अनिर्णीत	(श्री उदय कुमार से ₹1254 / —दुकान किराए कें रूप में वसूली बारे)
पैरा—9 (स)	निर्णीत	(श्री आशुतोष कुमार से ₹44.80 / —दुकान किराए के रूप में वसूली रसीद संख्या 15533 दिनांक 16.11.11 द्वारा कर दी गई है)

पैरा–9 (ह)	अनिर्णीत	(दुकान किराए के रूप में राशि ₹4824/–की वसूली बारे)
पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	(कर्मचारियों की नियुक्ति बारे)
पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत	(सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से आवास किराये तथा बिजली के बिलों की वसूली न करने बारे)
पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	(₹27000/–का मन्दिर न्यास निधि से संदिग्ध गबन)
पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	(₹1000/–का भी आर0एस0 पठानिया को अनियमित भुगतान)
पैरा–11 (च)	अनिर्णीत	(₹22225/–की अग्रिम राशि को व्यय बिलों, टिकटों व रसीदों के बगैर समायोजित करना)
पैरा–11 (छ) (2)	अनिर्णीत	(किए गए भुगतान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करने बारे)
पैरा–11 (ज) (1)	अनिर्णीत	(₹1024.38/–का रोकड़ वही में इन्द्राज न करके दुर्विनियोजन करने बारे)
पैरा–11 (ज) (2)	अनिर्णीत	(भुगतान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करके भुगतान किये जाने बारे)
पैरा–11 (ट)	निर्णीत	(₹55/–की वसूली रसीद संख्या 15533 दिनांक 16.11.11 द्वारा कर ली गई है)
पैरा–11 (द)	अनिर्णीत	(₹1094/–यात्रा भत्ते के भुगतान बारे)
पैरा–11 (घ)	अनिर्णीत	(₹600/– के स्टॉक का दुरूपयोग)
पैरा–11 (ल)	अनिर्णीत	(₹500/–विज्ञापन प्रकाशन हेतु भुगतान बारे)
पैरा–11 (श)	अनिर्णीत	(₹3459.00/–की मैसर्ज जय दुर्गे ढ़ाबा ज्वालामुखी से वसूली बारे)
पैरा–11 (ह)	अनिर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टि का न किया जाना)
पैरा–11 (क्ष)	अनिर्णीत	(सक्षम अधिकारी द्वारा भुगतान आदेश पारित किए बगैर भुगतान किया जाना)
पैरा–11 (क्ष) (प फ)	अनिर्णीत	(₹14386/–का अनियमित भुगतान)
पैरा–11 (क्ष) (फ फ)	अनिर्णीत	(₹6421/–का अधिक भुगतान)
पैरा–12 (क)	अनिर्णीत	(श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाये गई अन्य वस्तुओं का स्टॉक अकाऊंट)
पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत	(₹18267/–की सोडियम लाईटों का नगर पंचायत ज्वाला जी को गलत हस्तांतरण बारे)
पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत	(बिजली के सामान का स्टॉक रजिस्टर में कम

		इन्द्राज करने बारे)
पैरा–12 (घ)	अनिर्णीत	(श्रद्धालुओं द्वारा दान में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर में कम इन्द्राज करना)
पैरा–12 (ड़)	अनिर्णीत	(श्रद्धालुओं से प्राप्त सामान को स्टॉक रजिस्टर में लेखाबद्ध करते समय सही खाता में इसकी प्रविष्टि न करना)
पैरा–12 (छ)	निर्णीत	(मन्दिर में अन्य वस्तुओं की प्राप्ति का लेखांकन अंकेक्षण के सुझावानुसार किए जाने की पुष्टि उपरान्त)
पैरा–12 (ज)	निर्णीत	–
पैरा–12 (झ)	अनिर्णीत	(नारियल की बिक्री से राशि ₹11425/–कम वसूली बारे)
पैरा–12 (त)	अनिर्णीत	(₹1410/–की वसूली बारे)
पैरा–12 (थ)	अनिर्णीत	(10 स्टील की थालियों की अनियमित अदायगी)
पैरा–12 (द)	अनिर्णीत	(89 गिलास स्टील, 10 थालियां स्टील, 28 कौलियां स्टील, 2 प्लेट स्टील व 3 प्रेशर कुकर का स्टॉक में कम दर्शाया जाना)
पैरा–12 (ध)	अनिर्णीत	(101 किलो ग्राम पीतल की घंटियों का दुर्विनियोंजन)
पैरा–12 (न)	अनिर्णीत	(स्टॉक को गलत रूप से कम करके दिखाना)
पैरा–12 (प)	अनिर्णीत	(बिना किसी औपचारिकता को पूर्ण किए पुराने वर्तनों को बदलना)
पैरा–12 (फ)	अनिर्णीत	(अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा आठ चारपाईयां कम वापिस करने बारे)
पैरा–13 (क)	अनिर्णीत	(पशुधन लेखा बारे)
पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत	(अवधि 7.3.87 से 17.11.87 तक पशुधन स्टॉक रजिस्टर का अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना)
पैरा–13 (ड़)	अनिर्णीत	(दो बकरों की कीमत की वसूली बारे)
पैरा–13 (छ)	अनिर्णीत	(दो बकरों को बेचने से प्राप्त आय को रोकड़ वही/डे बुक में इन्द्राज न करना)
पैरा–13 (ज)	अनिर्णीत	(दिनांक 16.4.89 को एक बड़ा बकरा पुलिस विभाग धर्मशाला को दिए जाने बारे)
पैरा–13 (झ)	अनिर्णीत	(दिनांक 25.5.89 को पशुधन भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 16 पर अतिशेष कम दर्शाने बारे)
पैरा–13 (ञ)	अनिर्णीत	(बकरों को मरा दर्शाकर स्टॉक रजिस्टर से खारिज

		करने बारे)
पैरा–14 (क)	अनिर्णीत	(बजट की स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने बारे)
पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत	(बजट में प्रत्येक मद के लिए आय–व्यय का अलग–2 प्रावधान न रखा जाना)
पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत	(वाहन पर व्यय बारे)
पैरा–14 (घ)	अनिर्णीत	(विज्ञापन पर व्यय बारे)
पैरा–15 (क)	अनिर्णीत	(वाहन का बिना स्वीकृति के प्रयोग करने बारे)
पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	(सरकारी वाहन का हिमाचल प्रदेश के क्षेत्राधिकार से बाहर ले जाना)
पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत	(मन्दिर वाहन के अनावश्यक प्रयोग बारे)
पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत	(लॉग बुक के पृष्ठ 93 में की गई प्रविष्टि के अनुसार मन्दिर वाहन द्वारा 221 कि0मी0 की यात्रा की वसूली बारे)
पैरा–15 (ङ)	अनिर्णीत	(मन्दिर वाहन का अन्य व्यक्तियों / विभागों / संस्थाओं द्वारा प्रयोग यात्रा की वसूली न करना)
पैरा–15 (च)	अनिर्णीत	(सरकारी वाहन में यात्रा का उद्देश्य न दर्शाया जाना)
पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	(दवाईयों का नवरात्रों तथा मेलों के दौरान जनरल हस्पताल ज्वालामुखी द्वारा खरीद करके बिलों का मन्दिर न्यास द्वारा भुगतान किया जाना)
पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	(दवाईयों की बकाया मात्रा को जारी न करने बारे)
पैरा–16 (ग)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास निधि से विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान जारी करने बारे)
पैरा–16 (ङ से ञ)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.99 से 31.12.99

पैरा–9	अनिर्णीत	(सैन्ट्रल पूल में मन्दिर न्यास खाते से भेजी जाने वाली राशि के लेखे विवरण बारे)
पैरा–10	अनिर्णीत	(मै0 गुम्मन आर्किटेक्टस फोरम प्रा0लि0 चण्डीगढ़ को राशि ₹13138 / –के अधिक भुगतान बारे)
पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	(कर्मचारियों को मन्दिर के लंगर में खाने की सुविधा के फलस्वरूप लगभग ₹82000 / –की राशि के अधिक भुगतान बारे)
पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	(₹34650 / –की वसूली बारे)
पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत	(आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश कांगड़ा से दूरभाष सुविधा की कार्योत्तर स्वीकृति के बिना मन्दिर

		अधिकारी के निवास पर दूरभाष की सुविधा बारे)
पैरा–13	अनिर्णीत	(आयुक्त मन्दिर के अनुमोदन बिना कर्मचारियों की नियुक्ति करने बारे)
पैरा–14	अनिर्णीत	(दुकान किराया लेखे बारे)
पैरा–19	अनिर्णीत	(श्री ज्वाला जी मन्दिर न्यास में स्थापित सभी मूर्तियों का विवरण तैयार करने बारे)
पैरा–20	अनिर्णीत	(मन्दिर वाहन एच0पी0–36–002 द्वारा प्रवेंश के बाहर की गई यात्राओं के सम्बन्ध में)
पैरा–22	अनिर्णीत	(संविदाकारों को किए गए भुगतानों मे ंसे आयकर अधिभार और बिक्री कर की कटौती न करने बारे)
पैरा–23 (क)	अनिर्णीत	(सविदाकार को 2.23 घनमीटर ईंटों बारे)
पैरा–23 (ख)	निर्णीत	(₹105/–लकड़ी के दुरूपयोग की वसूली रसीद संख्या 15533 दिनांक 16.11.11 द्वारा कर ली गई है)

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2000 से 31.12.2000

पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत	(प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ वही के शेष का बैंक की पास बुक के शेष के साथ मिलान किये जाने बारे)
पैरा–5	अनिर्णीत	(₹15003/–का संम्भावित दुर्विनियोजन/गबन)
पैरा–6	अनिर्णीत	(भण्डार में दान स्वरूप प्राप्त हजारों रूपये की वस्तुओं का दुरूपयोग)
पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	(लंगर उपभोग हेतु भण्डार से जारी की गई वस्तुओं का दुरूपयोग)
पैरा–8 (1)	अनिर्णीत	(कांगड़ा मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2000 को सरकार से अनुमोदित करवाने बारे)
पैरा–8 (3)	अनिर्णीत	(कैश अथवा सम्पत्ति इत्यादि के कार्यों पर नियुक्ति कर्मचारियों से प्रतिभूति राशि लेने बारे)
पैरा–8 (5)	अनिर्णीत	(श्रीमति पुष्पा मिश्रा की मालिन के पद पर नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने बारे)
पैरा–11	अनिर्णीत	(पंजाब नैशनल बैंक की बहुलाभकारी योजना में गलत ढ़ंग से विनिवेश करने पर लगभग ₹1100.00 की हानि बारे)
पैरा–19 (क)	अनिर्णीत	(श्री रमेश चन्द ठेकेदार का स्टॉफ क्वार्टर के पीछे डंगा लगाने हेतु 7 बोरी सीमेन्ट के दुरूपयोग बारे)

पैरा–19 (ग)	अनिर्णीत	(सरकारी भूमि पर बिना किसी अनुबन्ध के लगभग 6 लाख रूपये की लागत से कार पार्किंग का निर्माण बारे)
पैरा–19 (घ)	अनिर्णीत	(₹41170/–का ठेकेदार श्री राकेश बन्टा को अनुपयोगी व्यय)
पैरा–19 (ड़)	अनिर्णीत	(₹16450/–का श्री रमेश चन्द ठेकेदार को सम्भावित दुरूपयोग)
पैरा–20	अनिर्णीत	(बिजली के बिलों में राशि ₹3932/–का विद्युत विभाग को अधिक भुगतान)
पैरा–21	अनिर्णीत	(₹1000/–के यात्रा व्यय भुगतान बारे)
पैरा–22	अनिर्णीत	(गैस के बिलों के भुगतान में राशि ₹417/–का आकाश गैस एजैन्सी देहरा को अधिक भुगतान बारे)
पैरा–23	अनिर्णीत	(विभिन्न क्रय की गई वस्तुओं का स्टॉक में न लिया जाना)
पैरा–24	अनिर्णीत	(दुकान किराया लेखे बारे)
पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	(5 ग्राम सोना व 100 ग्राम चांदी के दुरूपयोग बारे)
पैरा–26	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय को मन्दिर से जारी किए गए सामान बारे)
पैरा–27	अनिर्णीत	(मेलो ंके दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा बुलाये गये अतिरिक्त सफाई कर्मचारी व सामान का भुगतान मन्दिर द्वारा करने बारे)
पैरा–29 (क)	अनिर्णीत	(10 नए सूचना पट्ट की खरीद व लिखाई हेतु भुगतान की गई राशि ₹2562/–बारे)
पैरा–29 (ख)	अनिर्णीत	(मन्दिर में कैमरे लगाने हेतु ₹36575/–के भुगतान बारे)
पैरा–29 (ग)	अनिर्णीत	(बिना निविदा के राशि ₹14000/–के फर्नीचर की खरीद बारे)
पैरा–29 (ड़)	अनिर्णीत	(₹3575/–डीजल बिल के भुगतान बारे)

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2001 से 31.12.2001

पैरा–6 (1)	अनिर्णीत	(कैश बुक के अनुचित/त्रुटिपूर्ण रखरखाव बारे)
पैरा–7 (1)	अनिर्णीत	(सेवा पंजिका का पूर्ण रूप से तैयार न किया जाना व कोई भी सेवा पंजिका सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने बारे)
पैरा–10	अनिर्णीत	(स्थाई वेतन व दैनिक वेतन पर रखे बेलदार/सेवादारों

		को ₹40/–प्रतिमाह की दर से चिकित्सा प्रतिभूति भत्ते कुल राशि ₹4400/–का अनियमित भुगतान बारे)
पैरा–17	अनिर्णीत	(बिजली के बिलों में राशि ₹11292/–का विद्युत विभाग को अधिक भुगतान बारे)
पैरा–18	अनिर्णीत	(₹985/–का श्री उपेन्द्र सिंह पेन्टर को अधिक भुगतान बारे)
पैरा–19	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) उप मण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय में रंग रोगन हेतु मन्दिर खाते से कुल राशि ₹11958/–के व्यय बारे)
पैरा–20	अनिर्णीत	(अष्टभुजी मन्दिर के पास पार्किंग स्थल व बाथरूम का निर्माण करने बारे)
पैरा–21	अनिर्णीत	(मेलों के दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा बुलाए गए अतिरिक्त कर्मचारियों को भुगतान बारे)
पैरा–22	अनिर्णीत	(दूरभाष पर ₹44192/–का अत्याधिक व्यय बारे)
पैरा–24	अनिर्णीत	(अग्रिम धन ₹2001/–बारे)
पैरा–25	अनिर्णीत	(निजी टैक्सी द्वारा यात्रा करने के कारण ₹450/–के भुगतान बारे)
पैरा–27	अनिर्णीत	(बजट में बिना प्रावधान से किए गए विज्ञापन व्यय बारे)
पैरा–28	अनिर्णीत	(बजट में प्रावधान के बगैर केन्द्रीय पूल धर्मशाला को ₹4,00,000/–भेजने बारे)
पैरा–29	अनिर्णीत	(न्यास वाहन से यात्रा करने बारे)
पैरा–30	अनिर्णीत	(₹3862/–के 12 गैस सिलैण्डरों के दुरूपयोग बारे)
पैरा–31 (क)	अनिर्णीत	(राशि ₹1350/–के दुरूपयोग बारे)
पैरा–31 (ख)	अनिर्णीत	(कांगड़ा होल सेल को0 कन्जयूमर एण्ड मार्किटिंग फैडरेशन लि0 से कय किए गए राशन बारे)
पैरा–31 (ग)	अनिर्णीत	(लंगर में खाद्य सामग्री के दुरूपयोग बारे)
पैरा–32	अनिर्णीत	(₹19000/–श्री कपिल देव सूद (एडवोकेट) को किए गए भुगतान बारे)
पैरा–33	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.2011 व 19.7.2011 द्वारा निर्णीत)

(ड़) अंकेक्षण एवे निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.02 से 31.12.2002

पैरा–4 (1)	अनिर्णीत	(बैंक समाधान विवरण पंजाब नैशनल बैंक बारे)
पैरा–4 (2)	अनिर्णीत	(बैंक समाधान विवरण सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बारे)
पैरा–5	अनिर्णीत	(चढ़ावे में प्राप्त विदेशी मुद्रा के रखरखाव बारे)
पैरा–6 (क)	अनिर्णीत	(393 ग्राम अशुद्ध सोना व 394 ग्राम 720 मिली ग्राम नग मनके दर्शाने बारे)
पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	(सोने में 393 ग्राम अन्तर बारे)
पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत	(2 किलो 425 ग्राम 259 मिली ग्राम सोने में खोट दर्शाने बारे)
पैरा–6 (घ) (1)	अनिर्णीत	(भेंट स्वरूप प्रदान किए गए चांदी के सिक्कों का वितरण मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने बारे)
पैरा–6 (घ) (2)	अनिर्णीत	(चांदी विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जारी करके स्टॉक रजिस्टर से खारिज न करने बारे)
पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	(आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा न्यास के कर्मचारियों के लिए बनाए गए सेवा नियम के सन्दर्भ में)
पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत	(स्थाई वेतन पर रखे गए कर्मचारियों को किया जा रहा चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते का गलत भुगतान)
पैरा–7 (च) (3)	अनिर्णीत	(श्री प्रबल कुमार शास्त्री को मुख्य मन्दिर में हवन करने क एवज में ₹11/–दैनिक दक्षिणा/मानदेय के रूप में भुगतान बारे)
पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत	(श्रीमति पुष्पा देवी की मालिन के पद पर नियुक्ति बारे)
पैरा–7 (छ) (2)	अनिर्णीत	(श्रीमति पुष्पा देवी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹10080/–का अधिक भुगतान)
पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत	(एक वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने से पूर्व ही वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रदान किया जाना)
पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत	(श्री भवनीश कुमार की दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्ति बारे)
पैरा–7 (ट)	अनिर्णीत	(कांगड़ा शैली के चित्रकार श्री जोगिन्द्र सिंह द्वारा तैयार किए गए चित्रों का कोई अभिलेख व चित्र

		न्यास कार्यालय में उपलब्ध न होने बारे)
पैरा–7 (ठ) (2)	अनिर्णीत	(श्री कुलदीप कुमार सुपुत्र श्री चन्द (सहायक पुजारी) की नियुक्ति में दिए गए पुलिस प्रमाण पत्र बारे)
पैरा–9	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा अपने पुराने 5 किराएदारों को प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख 44 हजार ₹800/–का अनुचित भुगतान)
पैरा–10	अनिर्णीत	(जे.पी. ईण्डस्ट्री द्वारा बनाई गई माता जी की रसोई के उदघाटन के अवसर पर कुल ₹106999/–की मूर्तियों इत्यादि का उपहार के रूप में वितरण)
पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) एवं उप मण्डल अधिकारी (ना0) देहरा द्वारा आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश कांगड़ा की विहित शक्तियों के उपयोग बारे)
पैरा–10 (ख) (1)	अनिर्णीत	(क्र0सं0 1 से 3 तक वर्णित कुल ₹86889/–की चांदी की मूर्तियों के वितरण बारे)
पैरा–10 (ख) (2)	अनिर्णीत	(चांदी की मूर्तियों का वितरण आयुक्त मन्दिर की स्वीकृति के बिना करने बारे)
पैरा–10 (ख) (3)	अनिर्णीत	(चांदी की मूर्तियों का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए व बिना आपूर्ति आदेश दिए व अधिकारी/समिति द्वारा मूर्तियों का वजन सत्यापित न करने बारे)
पैरा–10 (ख) (4)	अनिर्णीत	(₹2000/–का श्री विनोद कुमार सेवादार को मूर्तियॉ लाने के लिए चण्डीगढ़ से ज्वालामुखी तक किया गया भुगतान)
पैरा–10 (ख) (4) (क)	अनिर्णीत	(मूर्तियों की खरीद दिल्ली से दर्शाए जाने बारे)
पैरा–10 (ख) (4) (ख)	अनिर्णीत	(मूर्तियों को टैक्सी द्वारा दिनांक 12.4.02 को लेकर आना जबकि विक्रय/खरीद बिल पर दिनांक 13.4.02 को दर्शाया जाने बारे)
पैरा–10 (ख) 4 (ग)	अनिर्णीत	(उच्च व जिम्मेवार अधिकारी द्वारा मूर्तियां न मंगवा कर सेवादार से मूर्तियां मंगवाने बारे)
पैरा–10 (ख) (5)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के पास मौजूद चांदी से मूर्तियों न बनवाकर नए चांदी की खरीद बारे)
पैरा–10 (ख) (5) (क)	अनिर्णीत	(क्र0सं0 4, 5, 6, 7 पर वर्णित राशि

		₹16180/–की मूर्तियों का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए व बिना आपूर्ति पत्र जारी किए करना व सामान की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे)
पैरा–10 (ख) (5) (ख)	अनिर्णीत	(क्र0सं0 8 पर वर्णित 50 फोटो ₹30.00/–प्रति फोटो के क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित न करना व स्टॉक प्रविष्टि भी न करना व ₹1350/– के किए गए भुगतान की सक्षम अधिकारी से कार्योंतार स्वीकृति प्राप्त न करने बारे)
पैरा–10 (ख) (5) (ग)	अनिर्णीत	(क्रम संख्या 9 पर वर्णित 9 शालों के वितरण बारे)
पैरा–12	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा शिक्षा समिति ज्वालामुखी को राशि ₹5,00,000/–दिए जा रहे अनुदान/आर्थिक सहायता के सन्दर्भ में)
पैरा–14	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के परिसर में स्थित गौरख डिब्बी मन्दिर न्यास के अन्तर्गत लाए जाने बारे)
पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत	(श्री डी0एन0कपूर को प्रतिभूति के तौर पर ₹2 लाख 25 हजार की बैंक गारन्टी प्रदान करने बारे)
पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत	(श्री डी0एन0 कपूर द्वारा यात्री निवास के अन्य खाली भाग के नाजायज ढंग से प्रयोग करने के सन्दर्भ में)
पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	(पुजारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम की प्रदेश सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने व पुजारियों के लिए आयोजित पुनश्चर्या कार्यक्रम के प्रसंग में किए गए व्यय को नियमित करवाने बारे)
पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	(प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तथा सहायक सामग्री का भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा विद्वानों को उपलब्ध न करवाकर यह सामग्री मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाने बारे)
पैरा–16 (ग)	अनिर्णीत	(कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त किए गए व्यय बारे)
पैरा–16 (घ)	अनिर्णीत	(शालों के वितरण बारे)
पैरा–16 (ड़)	अनिर्णीत	(₹1000/– की कैसेटों के क्रय बारे)

पैरा—16 (च)	अनिर्णीत	(बिना निविदाएं आमन्त्रित किए तथा बिना स्टॉक प्रविष्टि किए वीडियो कैसेटों के क्रय बारे)
पैरा—17 (1)	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) द्वारा आयुक्त (मन्दिर) के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी मर्जी से किराये की जगह अधिक भुगतान बारे)
पैरा—17 (2)	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) द्वारा आयुक्त (मन्दिर) के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी मर्जी से किराये की जगह अधिक भुगतान बारे)
पैरा—19 (च)	अनिर्णीत	(शहीद योगिन्द्र सिंह गैस सर्विस ज्वालामुखी को राशि ₹2530/—का अधिक भुगतान)
पैरा—20 (क)	अनिर्णीत	(विद्युत विभाग को बिजली बिलों के अधिक भुगतान बारे)
पैरा—20 (ख)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास में विद्युत विभाग का नियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता से करवाने व विद्युत के प्रत्येक भुगतान को सत्यापित करवाने बारे)
पैरा—20 (ग)	अनिर्णीत	(टैलीफोन बिल का 15 माह पश्चात भुगतान करने बारे)
पैरा—20 (घ)	अनिर्णीत	(टैलीफोन रजिस्टर का निर्माण न करने बारे)
पैरा—21	अनिर्णीत	(मेलो ंके दौरान सफाई व्यवस्था हेतु 60 कर्मचारियों के आने जाने के किराए राशि ₹6000/—के सम्बन्ध में टिकटों का अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत न किया जाने बारे)
पैरा—24	अनिर्णीत	(श्री नरेन्द्र कुमार को राशि ₹5000/—के भुगतान बारे)
पैरा—25 (क)	अनिर्णीत	(राशि ₹2,00,000/—केन्द्रीय पूल में राशि प्राप्ति की रसीद व हिमाचल प्रदेंश सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल के गठन के सम्बन्ध में जारी अधिूसचना बारे)
पैरा—25 (ख)	अनिर्णीत	(हिमाचल प्रदेश के मन्दिरों के रख—रखाव के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु गठित समिति के चेयरमैन श्री वशमीर सिंह राणा द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय पूल से न करके ज्वालाजी न्यास निधि से करने बारे)
पैरा—25 (ग)		(मूल प्रतिवेदन में उक्त पैरा सम्मिलित नहीं है अतः इसे समाप्त समझा जाए)
पैरा—26 (ङ.)	अनिर्णीत	(राशि ₹2500/—पटकों के भुगतान व पटकों की

		स्टॉक प्रविष्टि दर्ज न करने बारे)
पैरा–27	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा प्राप्त चुनियों इत्यादि को दान में वितरित कर दिया जाने बारे)

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.03 से 31.12.04

पैरा–5	अनिर्णीत	(वर्ष 2003 मे प्राप्त चांदी में से 2 किलो चांदी पिघलाने के कारण खपत हुई चांदी से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे)
पैरा–6	अनिर्णीत	(चांदी के सिक्को के सन्दर्भ में)
पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	(आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा न्यास के कर्मचारियों के लिए बनाए गए सेवानियम के सन्दर्भ में)
पैरा–14 (1)	अनिर्णीत	(श्री बलदेव कुमार लिपिक व श्री मनोहर लाल लिपिक के मूल वेतन बारे)
पैरा–14 (2)	अनिर्णीत	(श्री हुक्म चन्द व मुकन्द लाल सफाई सेवकों के मूल वेतन बारे)
पैरा–14 (6)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास में कार्यरत्त सभी कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रथम नियुक्ति की तिथि, पद, वेतन का विवरण रखने बारे)
पैरा–15	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) एवं उप मण्डल अधिकारी (ना0) देहरा कार्यालय में न्यास के एक कर्मचारी की नियुक्ति बारे)
पैरा–16	अनिर्णीत	(जिला भाषा अधिकारी कार्यालय में न्यास के एक अन्य कर्मचारी श्रीमति आर्दश वाला (क0 सहायक) की नियुक्ति बारे)
पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	(श्रीमति अंजु शर्मा की नियुक्ति बारे)
पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	(श्रीमति आर्दश बाला (लिपिक) की नियुक्ति बारे)
पैरा–16 (ग)	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेंदन दिनांक 18.07.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा–17	अनिर्णीत	(3.8.2003 के पश्चात बारीदारों को किया गया कुल राशि ₹1,04,90,004/–का अनियमित भुगतान बारे)
पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	(पूजा अर्चना हेतु 20 प्रतिशत राशि को काटे जाने बारे)
पैरा–18	अनिर्णीत	(ज्वालामुखी मन्दिर के समीप शॉपिंग काम्पलैक्स के निर्माण कार्य के दौरान श्रीमति पुष्पा देवी के मकान को हुई क्षति के मुआवजे के भुगतान मे ₹6 लाख 17 हजार की राशि का अधिक अनियमित भुंगतान बारे)

पैरा–19	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा पुष्पा देवी व उसके पुत्रों को दिया जा रहा लाखों रूपये की सम्पत्ति का अनुचित लाभ)
पैरा–20	अनिर्णीत	(राशि ₹4496259 / –की निर्माण सामग्री के बिना किसी माप के प्रयोग में लाया जाना)
पैरा–21	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा अपने पुराने 5 किराएदारों को किया गया कुल राशि ₹5,71,200 / –का अनुचित भुगतान)
पैरा–23 (क)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास कर्मचारियों अधिकारियों की लापरवाही के कारण विद्युत निगम को किया गया राशि ₹71,000 / –का अनियमित भुगतान)
पैरा–24 (1)	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा–24 (2)	निर्णीत	–यथोपरि–
पैरा–25	अनिर्णीत	(वर्ष 2003 व 2004 में विभिन्न नवरात्रों के दौरान रखे गए गृह रक्षकों को राशि ₹59,999 / –का अधिक भुगतान)
पैरा–25 (क) (1)	अनिर्णीत	(₹2545 / –का गृह रक्षकों को किए गए भुगतान बारे)
पैरा–25 (क) (2)	अनिर्णीत	(गृह रक्षकों को किए गए यात्रा भत्ते के भुगतान बारे)
पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	(राशि ₹8894 / –की गृह रक्षकों से वसूली बारे)
पैरा–25 (घ)	अनिर्णीत	(गृह रक्षकों को राशि ₹18085 / –के गलत भुगतान बारे)
पैरा–26	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा श्री डी0एन0 कपूर पट्टाधारी यात्री निवास मातृ छाया को दिए गए लाखों रूपये के अनुचित लाभ तथा राशि ₹8,68,300 / –की वसूली न किया जाना)
पैरा–27	अनिर्णीत	(राशि ₹32100 / –का अस्थाई दुरूपयोग)
पैरा–28	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त मन्दिर एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय में समाचार पत्रों की आपूर्ति पर राशि ₹17238 / –का भुगतान बारे)
पैरा–31	अनिर्णीत	(श्री जितेन्द्र नाथ व विवेक सूद कनिष्ठ अभियन्ता को किया गया क्रमशः ₹18480 / –व ₹16896 / –कुल राशि ₹35376 / –का अधिक भुगतान)
पैरा–33 (छ) (2)	निर्णीत	(लंगर में दैनिक खपत रजिस्टर के अनुसार चावलों की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से रसीद संख्या 13221 दिनांक 8.11.11 द्वारा कर ली है)
पैरा–39 (i)	अनिर्णीत	(बिना चर्चा के कार्य आबंटन बारे)
पैरा–39 (ii)	अनिर्णीत	(समाचार पत्र में विज्ञापन अनुसार धरोहर राशि केवल नकद जमा करवाने की एवज में धरोहर राशि)

पैरा–39 (iii)	अनिर्णीत	(राष्ट्रीय बचत पत्र जमा करवाने बारे निर्माण कार्य मानदण्डों से निम्न कोटी का किया जाने बारे)
पैरा–40 (3)	अनिर्णीत	(राशि ₹1784.79/–का श्री संजल शर्मा ठेकेदार को अधिक भुगतान)
पैरा–41 (2)	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा–42	अनिर्णीत	(न्यास की चल व अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन न करवाने बारे)
पैरा–46	अनिर्णीत	(बिना टैण्डर व बाजारीय प्रतियोगिता का लाभ उठाए कार्य का आबंटन करने बारे)
पैरा–48 (3)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास वाहन द्वारा यात्रा अन्य कार्यों हेतु करने बारे)
पैरा–49 (2)	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा–51	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा–52	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा ज्वालाजी शिक्षा समिति को दी गई राशि ₹1 करोड़ 20 लाख के सम्बन्ध में)
पैरा–53	अनिर्णीत	(सुलभ इन्टरनेशनल को ₹5000/–प्रति माह रखरखाव के रूप में किए गए भुगतान के सन्दर्भ में)
पैरा–54	अनिर्णीत	(मन्दिर कर्मचारियों को बोंनस के रूप मे ंकिया गया अनियमित भुगतान कुल राशि ₹5206.00/–बारे)
पैरा–56 (ख)	अनिर्णीत	(दान हेतु काटी गई रसीद में दान की राशि कार्बन कॉपी में नीले पैन से भरा जाना)
पैरा–57	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा–58	अनिर्णीत	(अष्टभुजा सत्संग भवन व भैरों मन्दिर से वर्ष 2003 व 2004 के दौरान कोई भी आय की प्राप्ति न दर्शाना)
पैरा–59 (1)	अनिर्णीत	(राशि ₹13200/–श्री राज कुमार सुपुत्र श्री मिलखी राम को किए गए भुगतान बारे)
पैरा–59 (2)	अनिर्णीत	(राशि ₹1188/–कम्पयूटर की काली स्याही खरीदने हेतु)
पैरा–59 (3)	अनिर्णीत	(राशि ₹5100/–होम गार्डों से वसूली बारे)
पैरा–59 (4)	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा–59 (5)	निर्णीत	–यथोपरि–
पैरा–59 (6)	अनिर्णीत	(टेलीविजन के क्रय पर खर्च की गई राशि बारे)

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.05 से 31.12.05

पैरा–4 (क)	अनिर्णीत	(रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान बारे)
पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत	(दिनांक 31.8.03 को चांदी पिघलाने के कारण खोट के रूप में खारिज की गई चांदी 2 किलो 46 ग्राम 650 मिली ग्राम बारे)
पैरा–7 (2)	अनिर्णीत	(राशि ₹660/–का अधिक भुगतान)
पैरा–8 (2)	अनिर्णीत	(विद्युत प्रभारों के भुगतान बारे)
पैरा–9	अनिर्णीत	(अंकेक्षण द्वारा विभिन्न अंकेक्षण अधियाचनाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध न करवाए जाने के सन्दर्भ में)
पैरा–10	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.06 से 31.12.07

पैरा–5	अनिर्णीत	(वर्ष 2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (ख) में अन्तर का कारण बारे व दिनांक 31.8.03 को चांदी पिघलाने के कारण खोट के रूप में 2 किलो 046 ग्राम व 650 मि0ग्रा0 दर्शाई गई चांदी को स्टॉक से खारिज करने बारे)
पैरा–11	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा–12	निर्णीत	–यथोपरि–
पैरा–13 भाग एक (1 से 6)	निर्णीत	–यथोपरि–
पैरा–13 भाग एक (1 से 7)	निर्णीत	–यथोपरि–
पैरा–15	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 व 2007 प्रोत्साहन राशि के रूप में न्यास कर्मचारियों को अधिक एवं गलत भुगतान राशि ₹362050/–बारे)
पैरा–16	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 व 2007 के दौरान प्रोत्साहन राशि के रूप में राशि ₹70555/–का अनियमित एवं गलत भुगतान के बारे)
पैरा–17	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 में लगने वाले नवरात्र मेलों के दौरान अतिरिक्त कार्य न करने के बावजूद किया गया गलत भुगतान राशि

		(₹199920/–बारे)
पैरा–18 (क से त)	आंशिक निर्णीत	(दण्ड ब्याज ₹133766 की वसूली शेष)
पैरा–19 (1 से 6)	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा–20 (1 से 3)	अनिर्णीत	(नवरात्रों के दौरान रखे गए अतिरिक्त सफाई सेवकों को राशि ₹55080/–का अधिक एवं गलत भुगतान)
पैरा–21	अनिर्णीत	(यात्री निवास मातृछाया को पट्टे पर न देने के कारण आय स्वरूप हुई हानि राशि ₹723030/–बारे)
पैरा–22	अनिर्णीत	(यात्री निवास मातृछाया के गत वर्षों के किराये के रूप में राशि ₹558860/–वसूलने हेतु शेष)
पैरा–23	अनिर्णीत	(वर्ष 2005, 2006 व 2007 में नये निर्माण कार्यों पर कोई भी व्यय न करना)
पैरा–24	अनिर्णीत	(शॉपिंग कम्पलैक्स के निर्माण में निर्माण सामग्री राशि ₹20,60,294/–के दुरूपयोग बारे)
पैरा–25	अनिर्णीत	(₹4515/–संविदाकार से वसूली बारे)
पैरा–26	अनिर्णीत	(₹1959/–संविदाकार से वसूली बारे)
पैरा–27	अनिर्णीत	(₹1903/–संविदाकार से वसूली बारे)
पैरा–28	अनिर्णीत	(राशि ₹12193/–के भुगतान की अनियमितताएं बारे)
पैरा–29	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 व 2007 में करवाए गए निर्माण कार्यों एवं अन्य कार्यों में मन्दिर न्यास द्वारा पानी व बिजली की आपूर्ति सम्बन्धित संविदाकारों को करने पर भी जल प्रभारों के रूप में चलित एवं अन्तिम संविदाकार के बिलों से न करने के कारण मन्दिर न्यास कोष को हुई हानि बारे)
पैरा–33	अनिर्णीत	(दीपावली के पर्व पर मिठाईयों के वितरण बारे)
पैरा–34	अनिर्णीत	(क्रय से पूर्व निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने व बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए

		बिना किए गए क्रय बारे)
पैरा–35	अनिर्णीत	(₹1870 / –की वसूली बारे)
पैरा–36	अनिर्णीत	(बारीदारों से ₹3000 / –की वसूली बारे)
पैरा–37	अनिर्णीत	(सोने की मात्रा 1 ग्राम 200 मिली ग्राम के दुरूपयोग बारे)
पैरा–38	अनिर्णीत	(मुख्य मन्दिर गल्ला गणना रजिस्टर में दिनांक 3.4.06 को सोना व चांदी प्राप्त न होना जबकि सोना चांदी स्टॉक रजिस्टर मे सोना 4 ग्राम 300 मिली ग्राम व चांदी 1 किलो 132 ग्राम दर्शाने बारे)
पैरा–39	अनिर्णीत	(शैया भवन में रखे गल्लों की गणना के लिए गणना रजिस्टर तैयार न करने बारे)
पैरा–41	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी व सहायक मन्दिर अधिकारी के निवास में लगे बिजली के मीटर नम्बर एम0डी0आर0 301 के बिजली बिलों के रूप में अवधि 17.1.2002 से 12.1.2009 तक राशि ₹26036 / –का मन्दिर कोष से अनियमित एवं गलत भुगतान)
पैरा–42 (1)	अनिर्णीत	(श्रीमति आर्दश बाला के नियमों के विपरीत पदोन्नति बारे)
पैरा–42 (2)	अनिर्णीत	(श्रीमति अंजु शर्मा के नियमों के विपरीत पदोन्नति बारे)
पैरा–44 (1)	अनिर्णीत	(श्रीमति वीना देवी अध्यापक व श्री महिन्द्र सिंह की सेवापंजिकाओं के छुट्‌टी खाते में 2 दिन अर्जित व 1 दिन परिवर्तित अवकाश कम करने बारे)
पैरा–44 (2)	अनिर्णीत	(श्री मनोहर लाल माली का एक दिन का वेतन काटा जाने बारे व बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र असाधारण अवकाश की प्रविष्टि सेवापजिकाओं में करने बारे)
पैरा–44 (3)	अनिर्णीत	(श्री मनोहरलाल माली की 64 दिन की वेतन की वसूली व बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र असाधारण अवकाश की प्रविष्टि सेवापंजिका में करने बारे)
पैरा–45	अनिर्णीत	(श्री मनोहर लाल माली राशि ₹10000 / –की

		वसूली बारे)
पैरा—46	अनिर्णीत	(श्री अवतार सिंह विद्युतकार को राशि ₹4333/—का गलत एवं अनियमित भुगतान)
पैरा—47	अनिर्णीत	(मृत्यु उपदान सहायता के रूप में ₹37782/—का गलत भुगतान)
पैरा—48	अनिर्णीत	(मन्दिर की गाड़ी के अनावश्यक रखरखाव खर्च को सीमित करने बारे)
पैरा—49	अनिर्णीत	(₹4500/—की वसूली बारे)
पैरा—51	निर्णीत	रसीद संख्या 15533 दिनांक 16.11.01 (₹204/—की वसूली हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन से कर ली है)

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.08 से 31.12.08

पैरा—7	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा—8	निर्णीत	—यथोपरि—
पैरा—9	अनिर्णीत	(राशि ₹3789555/—वर्ष 2008 के दौरान बारीदारों को गलत एवं अधिक भुगतान)
पैरा—10	अनिर्णीत	(वर्ष 2008 के दौरान प्रोत्साहन राशि के रूप में न्यास कर्मचारियों को अधिक एवं गलत भुगतान राशि ₹64052/—बारे)
पैरा—11	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा—12	निर्णीत	—यथोपरि—
पैरा—13	अनिर्णीत	(श्री अवतार सिंह संविदाकार को गलत तरीके से वापिस की गई प्रतिभूति की राशि ₹8000/—बारे)
पैरा—14	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा—15 (i)	निर्णीत	—यथोपरि—
पैरा—15 (ii)	अनिर्णीत	(श्रीमति विमला देवी सफाई कर्मचारी को अर्जित अवकाश भुनाने के एवज में ₹1063/—का अधिक भुगतान बारे)
पैरा—16	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा—17	निर्णीत	—यथोपरि—

पैरा—18	अनिर्णीत	(यात्री निवास में माह 4/08 के दौरान आय हेतु काटी गई रसीद संख्या 9224 से 9258 तक अंकेक्षण में न दर्शाया जाना)
पैरा—19	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा—20	निर्णीत	(लंगर में खाद्य सामग्री के दुरूपयोग की वसूली रसीद संख्या 13222 दिनांक 8.11.11 द्वारा कर ली गई है)
पैरा—21	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा—22	अनिर्णीत	(सेवापंजिकाओ में गलत पदनाम पुजारी सहायक दर्शाने बारे)
पैरा—23	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा—24	अनिर्णीत	(मुख्य आयुक्त मन्दिर की विहित शक्तियों का आयुक्त मन्दिर द्वारा प्रयोग करने बारे)
पैरा—25 (1)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की सम्पत्तियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे)
पैरा—25 (2)	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा—26	अनिर्णीत	(विभिन्न कर्मचारियों के स्वीकृत पदों से अधिक पद भरे जाने बारे)
पैरा—27	निर्णीत	(सहायक निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.7.11 व 19.7.11 द्वारा निर्णीत)
पैरा—28	निर्णीत	—यथोपरि—

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.09 से 31.12.09

पैरा—8	अनिर्णीत	(चांदी के स्टॉक में 1167 किलो 603 ग्राम 650 मिली ग्राम चांदी कम दर्शाना)
पैरा—9	अनिर्णीत	(भौतिक सत्यापन के दौरान 6 किलो 112 ग्राम 660 मि0ग्राम चांदी की मात्रा का स्टॉक में अधिक पाया जाना)
पैरा—10	अनिर्णीत	(चांदी पिघलाने का शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान 154 किलों 949 ग्राम चांदी को नष्ट हुई दर्शाकर स्टॉक से खारिज करने बारे)

पैरा–12	अनिर्णीत	(बजट में प्रावधान के बगैर किए गए व्यय राशि ₹559728/–के बारे)
पैरा–13	अनिर्णीत	(₹2211572/– वर्ष 2009 में स्वीकृति बजट से अधिक व्यय करने बारे)
पैरा–14	अनिर्णीत	(₹3895448 वर्ष 2009 के दौरान बारीदारों को गलत एवं अधिक भुगतान)
पैरा–15	अनिर्णीत	(वर्ष 2009 के दौरान प्रोत्साहन राशि के रूप में न्यास कर्मचारियों को अधिक एवं गलत भुगतान ₹5229 बारे)
पैरा–16	निर्णीत	(राशि ₹100/–रसीद संख्या 0015540 दिनांक 18.11.2011 के अन्तर्गत जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त)
पैरा–17	अनिर्णीत	(लंगर में खाद्य सामग्री एवं अन्य सामान के दुरूपयोग बारे)
पैरा–18	अनिर्णीत	(लंगर में दैनिक खपत रजिस्टर के अनुसार खाद्य सामग्री के दुरूपयोग बारे)
पैरा–19	अनिर्णीत	(लंगर में रसीदों से प्राप्त सामान के दुरूपयोग बारे)
पैरा–20	अनिर्णीत	(लंगर प्रभारी द्वारा 1 टन 5 क्विंटल 86 किलाग्रेाम गेहूं का आटा प्रचलित दरों से कम बेचने के कारण मन्दिर कोष में हुई वित्तीय हानि ₹15860/–बारे)
पैरा–21	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी एवं सहायक मन्दिर अधिकारी के निवास में लगे बिजली के मीटर नम्बर एम0डी0आर0 301 के बिजली बिलों के रूप में अवधि 1.3.09 से 30.11.10 तक राशि 34774/–का मन्दिर कोष से अनियमित एवं गलत भुंगतान)
पैरा–22	अनिर्णीत	(लंगर में आटा मद के दुरूपयोग बारे)
पैरा–23	निर्णीत	(मुख्य मन्दिर गल्ला गणना रजिस्टर में कटे–फटे नोटों के रूप मे ंप्राप्त आय की प्रविष्टि की सत्यापना उपरान्त)
पैरा–24	निर्णीत	(शैया भवन व शैया पूजा में रखे गल्लों की गणना के लिए गणना रजिस्टर की सत्यापना उपरान्त)
पैरा–25	निर्णीत	(राशि ₹1200/–की वसूली रसीद संख्या

		0015541 दिनांक 18.11.2011 द्वारा कर ली गई है)
पैरा–26	अनिर्णीत	(मुख्य मन्दिर गल्ला गणना रजिस्टर में सिक्कों की गणना से राशि ₹990/–अधिक दर्शाने बारे)
पैरा–27	अनिर्णीत	(13 दुकानों का किराया अनियमित रूप से कम करने के कारण हो रही प्रति वर्ष ₹31824/–की वित्तीय हानि बारे)
पैरा–28	अनिर्णीत	(2 दुकाने अनियमित रूप से गृह रक्षक व सुरक्षा गार्डो को आबंटित करना व एक दुकान का खाली रखने बारे)
पैरा–29	अनिर्णीत	(दोष पूर्ण खुली बोली की प्रक्रिया के कारण किराए का कम निर्धारण)
पैरा–30	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी व लेखाकार को दिए जा रहे चौतरफा अवैध, अनियमित एवं गलत लाभ बारे)
पैरा–31	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास लंगर से मन्दिर अधिकारी, लेखाकार व डिग्री कॉलेज हेतु गैस सिलैण्डर सप्लाई करने बारे)
पैरा–32	अनिर्णीत	(श्री सुभाष चन्द सफाई सेवक की सेवा पंजिका व व्यक्तिगत नस्ति की जांच करने पर पाया गया उक्त कर्मचारी 884 दिन अवकाश पर रहा है)
पैरा–33	अनिर्णीत	(कॉमन पूल को अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई राशि ₹4 लाख बारे)
पैरा–34	अनिर्णीत	(डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को की गई राशि ₹5 लाख बारे)
पैरा–35	अनिर्णीत	(श्री बलदेव सिंह लिपिक का पदनाम गलत तरीके से वरिष्ठ क्लर्क दर्शाने बारे)
पैरा–36	अनिर्णीत	(श्री विवेक सूद कनिष्ठ अभियन्ता की सेवापंजिका प्रस्ततु न करने व वेतन निर्धारण बारे)
पैरा–37	अंशतः निर्णीत (₹518/–की वसूली विजय कुमार ड्राफ्ट मैन से शेष)	(दैनिकी भत्ते के रूप में श्री विनोद कुमार सेवादार को ₹245/–अधिक भुगतान व श्री विजय कुमार ड्राफ्ट मैन को ₹518/– अधिक एवं गलत भुगतान बारे)
पैरा–38	अनिर्णीत	(सूद आरा उद्योग होशियारपुर को बेरियर टैक्स व ट्रक भाड़े के रूप में ₹16550/–का गलत भुगतान)

पैरा–39	अनिर्णीत	(वालन ढुलाई व उतराई के रूप में लंगर प्रभारी को ₹11659/–का गलत भुगतान)
पैरा–40 (क) (i)	अनिर्णीत	(अष्ट भुजा मन्दिर व कीर्तन/सत्संग भवन पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित न करने बारे)
पैरा–40 (क) (ii)	अनिर्णीत	(भैरों मन्दिर की रोकड़ वही तैयार न करने बारे)
पैरा–40 (क) (iii)	अनिर्णीत	(भैरों मन्दिर व रेहड़ा मन्दिर की बचत खातों में शेष बची राशि को मन्दिर न्यास के बचत खातों में हस्तांतरित न करने बारे)
पैरा–40 (क) (iv)	अनिर्णीत	(भैरों मनिदर व टेहड़ा मन्दिर की आय की गणना प्राधिकृत कमेटी के समक्ष किए जाने बारे)
पैरा–40 (क) (v)	अनिर्णीत	(टेहड़ा मन्दिर में आय हेतु जारी गई रसीदों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे)
पैरा–40 (ख)	अनिर्णीत	(टेहड़ा मन्दिर की आय ₹15466/–का अस्थाई गवन व रोकड़ वही का रखरखाव न करने बारे)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल असिस्टैंट द्वारा दिनांक 8.9.11 से 29.9.11 व 10.10.11 से 18.11.11 तक ज्वालामुखी में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया है।

आयः– 3/10

व्ययः– 12/10

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन तथा वित्तीय स्थिति मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के नियन्त्रण अधिकारी/मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं जांच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित उपरोक्त मांसों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर संलग्न परिशिष्ट–"ग" के अनुसार ₹46700/–बनता है। जिसे राजकीय कोष में अविलम्ब जमा करवाने हेतु इस राशि को बैंक

ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 के नाम भेजने हेतु मन्दिर अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 207 दिनांक 19.11.11 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की वर्ष 2010 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

	वर्ष 2010
आरम्भिक शेष	6,81,08,427.41
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	6,00,28,292.20
कुल योगः	**12,81,36,719.61**
वर्ष के दौरान किये गये व्यय की कुल राशि	4,16,77,584.00
दिनांक 31.12.10 को अन्तिम शेष	8,64,59,135.61

(i) अन्तिम शेष का विवरण/समाधान निम्न प्रकार से हैः–

(क) बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31.12.2010 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों मे ंजमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**बैंक खाता संख्या**	**जमा राशि (₹)**
1	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	11633	1125716.64
2	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	19947	316363.48
3	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	16388	80091.65
		योग	**1522171.77**
4	सी0बी0आई0 ज्वालामुखी	900	989403.00
5	एस0बी0आई0 ज्वालामुखी	10551097078	13575.69
6	एच0डी0एफ0सी0	06051450000059	72186.15
		कुल योग	**2597336.61**

(ख) सावधि जमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.12.10 तक निम्न विवरणानुसार ₹8,48,68,533/– की राशि निवेश की गई थी, जिन्हें परिपक्वता पर पुनर्निवेश करना व प्राप्त ब्याज का समय–2 पर रोकड़ वही में लेखांकन सुनिश्चित किया जाए।

(ग)	उपरोक्त (क) व (ख) का कुल योग (2597336.61+84868533)	= 87465869.61
	रोकड़ वही के अनुसार अन्तिम शेष	=86459135.61
	अन्तर	=1006734.00
	अन्य विसंगतियां	
(i)	दिनांक 16.12.10 को ₹304 व 31.12.10 को ₹1 कुल ₹305 कम जमा करवाई गई राशि	= (+)305.00
(ii)	दिनांक 28.12.10 को अधिक जमा करवाई गई राशि	=(–) 95.00
	अतः कुल अन्तर	**= 1006944.00**

अन्तर का कारणः–

₹106944/–का अन्तर रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.12.10 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में अन्तर (अधिक व कम) के कारण है। जिसका विस्तृत विवरण बैंक समाधान विवरण सहित निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**बैंक खाता सं0**	**बैंक का नाम**	**रोकड़ वही के अनुसार अन्तिम शेष**	**बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम शेष**	**अन्तर**
1	11633	पी0एन0बी0			
2	19947	पी0एन0बी0	1210199.77	1522171.77	311972
3	16388	पी0एन0बी0			
4	900	सी0वी0आई0	294431	989403	694972
5	10551097078	एच0वी0आई0	13575.69	13575.69	–
6	060510000059	एच0डी0एफ0सी0	72186.15	72186.15	
		कुल योग	1590392.61	2597336.61	1006944

बैंक समाधान विवरणः–

(i)	रोकड़ वही के अनुसार पी0एन0बी0 का शेष	1210199.77
	(+) जमाः– चैक जो 31.12.10 तक जारी किए गए लेकिन 31.12.10 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए है (परिशिष्ट–"क")	(+) 416614.00
	(+) दिनांक 29.12.10 को ₹37 बैंक में अधिक जमा करवाई गई राशि	(+) 37
	(–) घटावः– दिनांक 31.12.10 को बैंक में जमा करवाई गई रोकड़ लेकिन दिनांक 31.12.10 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं	(–) 10467900

	दिया गया	
	बैंक पास बुक के अनुसार शेष	152217.77
(ii)	रोकड़ वही के अनुसार सी0वी0आई0 का शेष	294431
	(+) जमाः– चैक जो 31.12.10 तक जारी किए गए लेकिन 31.12.10 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए है। (परिशिष्ट–"ख")	(+) 679438
	(+) दिनांक 31.11.10 को बैंक द्वारा दिया गया ब्याज लेकिन 31.12.10 तक रोकड़ वही में इन्द्राज नहीं किया गया।	(+) 17534
	(–) घटावः– बैंक द्वारा गलत डेविट की गई राशि	(–) 2000
	बैंक पास बुक के अनुसार शेष	989403

5 (क) वित्तीय विश्लेषणः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में वर्ष 2008, 2009 व 2010 की आय व व्यय का वित्तीय विश्लेषण निम्न प्रकार से हैः'–

वर्ष	आय	वृद्धि या कमी की प्रतिशतता	व्यय	वृद्धि या कमी की प्रतिशतता
2008	42210056.14	–	29053463.14	–
2009	52425804.12	(+ 24.20%)	33453117	(+15.14%)
2010	60028292.09	(+14.50%)	41677584	(+24.58%)

(ख) स्थापना व्ययः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में एक अधिकारी व दो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत्त है। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास में कुल 91 कर्मचारी है, जिनमें से 70 कर्मचारी नियमित वेतन, 17 नियत वेतन, 3 कर्मचारी दैनिक वेतन तथा एक मस्ट्रोल पर कार्यरत्त है। इसके अतिरिक्त मन्दिर में 8 गृह रक्षक व 7 सुरक्षा गार्ड भी कार्यरत्त हैं वर्ष में लगने वाले नवरात्रों के दौरान 60 सफाई कर्मचारी 60 से 100 गृह रक्षक व 50 अस्थाई कर्मचारी भी अलग से मेलों के दौरान नियुक्त किए जाते है। उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों पर वर्ष 2010 में वेतन के रूप में ₹12807354/–खर्च किए गए है जो कि वर्ष 2010 के कुल व्यय का 30.72% व आय का 21.33% है। उपरोक्त उल्लेखित स्थापना व्यय की प्रतिशतता में वर्ष के दौरान लगने वाले नवरात्रों के दौरान 60 सफाई कर्मचारी, 60 से 100 गृह रक्षक व 50 अस्थाई कर्मचारियों का वेतन शामिल नहीं है।

6 वर्ष 2010 में सोने की स्थितिः–

	किलो	ग्राम	मिली ग्राम
आरम्भिक शेष (1.01.10)	30	754	099
वर्ष 2010 के दौरान प्राप्ति	00	902	600
कुल योग	31	656	699
स्टॉक रजिस्टर के अनुसार सोने की मात्रा	31	263	699
अन्तर (–)	00	393	000

अन्तर का कारणः– वर्ष 2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों संख्या 6 (ख) के अन्तर्गत अन्तर का कारण दर्शाया गया है। जिसका मन्दिर न्यास द्वारा अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। अतः इस विसंगति का तुरन्त निपटारा किया जाना अपेक्षित है। यह मामला मन्दिर न्यास प्राधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ यथोचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि समय रहते इसका समाधान सम्भव हो सके।

7 वर्ष 2010 में चांदी की स्थितिः–

(क)	किलो	ग्राम	मिली ग्राम
आरम्भिक शेष (1.01.10)	1234	506	950
वर्ष, 2010 के दौरान प्राप्ति	55	875	900
कुल योग	**1290**	**382**	**850**

(ख) (i) मुख्य स्टॉक रजिस्टर के अनुसार चांदी की मात्रा	122	779	200
(ii) सम्पत्ति स्टॉक रजिस्टर–II के अनुसार चांदी की मात्रा	1010	608	000
कुल योग	**1133**	**387**	**200**
अन्तर (क) (–) (ख)	156	995	650

अन्तर का कारणः– अन्तर का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

		किलो	ग्राम	मिलीग्राम
(i)	दिनांक 31.8.03 को चांदी पिघलाने के कारण खोट के रूप में 2 किलो 046 ग्राम 650 मिली ग्राम दर्शाई गई चांदी को स्टॉक में खारिज करने के कारण अन्तर है। इस सन्दर्भ में उठाई गई आपत्ति का अविलम्ब निपटारा किया जाए।	002	046	650
(i)	दिनांक 26.2.09, 27.2.09 व 7.3.09 को चांदी पिघलाने व शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान खोट के रूप में एवं नष्ट दर्शाई गई चांदी जिसे स्टॉक से खारिज कियागया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009 के पैरा संख्या 10 मे उठाई गई आपत्ति का अविलम्ब निपटारा किया जाना अपेक्षित है।	154	949	000
	कुल योग	**156**	**995**	**650**

8 राशि ₹210/–का दुरूपयोगः–

डे–बुक व रोकड़ वही के मिलान करने पर पाया गया कि दिनांक 16.12.10 को ₹304/–व 31.12.10 को ₹1/–का इन्द्राज रोकड़ वही के आय पक्ष में कम लिया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.12.10 को ₹95/–का इन्द्राज आय पक्ष में अधिक लिया गया हैं फलस्वरूप रोकड़ वही के आय पक्ष में डे–बुक की आय का इन्द्राज ₹305/–कम व ₹95/–अधिक लेने के कारण ₹210/–की आय रोकड़ वही में कम दर्शाई गई है। अतः ₹210/–उत्तरदायी कर्मचारी से वसूलने के उपरान्त रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज किए जाने व बैंक में जमा करवाए जाने सुनिश्चित किए जाए व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

9 ₹52,15,799/–वर्ष 2010 के दौरान बारीदारों को अनियमित एवं अधिक भुगतानः–

आयुक्त मन्दिर के कार्यालय पत्र संख्या 5235/पी0एफ0आर0 दिनांक 31.8.1988 जिसके अन्तर्गत बारीदारों को मुख्य मन्दिर व शैया भवन की आय में से पूजा अर्चना व मन्दिर रखरखाव के व्यय (प्रथम प्रभार) को घटाने के बाद शेष बची आय का 50 प्रतिशत हिस्सा ही दिया जाना अपेक्षित था। मन्दिर आयुक्त के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी मन्दिर न्यास मनमाने तरीके से मुख्य मन्दिर की आय में से 20 प्रतिशत पूजा अर्चना का व्यय घटाने उपरान्त शेष बची आय का 50 प्रतिशत हिस्सा बारीदारों को दिया जा रहा है और यह हिस्सा

दिन–प्रतिदिन की आय मे से दिया जा रहा है जबकि उपरोक्त निर्णय अनुसार बारीदारों को उनके हिस्से का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाना अपेक्षित था। अतः इस प्रकार की अनियमितता को अंकेक्षण द्वारा गत प्रतिवेदनों में उजागर करने के बावजूद भी इस अनियमितता की पुनरावृति हो रही है व इस प्रकार संपरीक्षा सुझाव की अनदेखी करके मन्दिर न्यास को भारी वित्तीय हानि हो रही है वहॉ दूसरी ओर बारीदारों को अनियमित रूप से वित्तीय लाभ दिया जा रहा है। जहॉ एक ओर गत 15 वर्षों में पूजा अर्चना एवं मन्दिर रखरखाव व्यय की वास्तविक लागत कम किए बगैर बारीदारों को उनके हिस्से के रूप में करोंड़ों रूपयों का अधिक भुगतान किया जा चुका है वहीं दूसरी तरफ बारीदारों को त्रैमासिक आधार पर भुगतान न करने से मन्दिर को ब्याज स्वरूप उपार्जित होने वाली लाखों रूपये की आय की भी हानि हुई है। वर्ष 2010 में ही पूजा अर्चना एवं मन्दिर रखरखाव की वास्तविक कटौती किए बगैर बारीदारों को उनके हिस्से के रूप में ₹52,15,799/–का गलत एवं अधिक भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) वर्ष 2010 में मुख्य मन्दिर, शैया भवन, शैया पूजा, कटे–फटे नोट की आय=38542106

(2) घटावः– पूजा अर्चना एवं मन्दिर रखरखाव व्यय वर्ष 2010

(i)	पूजा अर्चना	186608	
(ii)	लंगर संचालन	2853196	
(iii)	मन्दिर कर्मचारी वेतन	10699874	
(iv)	सरकारी कर्मचारी वेतन	1085409	
(v)	गृह रक्षक वेतन	492427	17739766
(vi)	औषधालय व्यय	99892	
(vii)	डिग्री कॉलेज व्यय	2300000	
(viii)	संस्कृत विद्यालय व्यय	22360	
	योग		
(3)	शुद्ध आय (1–2)		20802340
(4)	शेष शुद्ध आय जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा बारीदारों को दिया जाना अपेक्षित था		₹10401170
(5)	बारीदारों को वास्तव में दिया गया हिस्सा		₹15616969
(6)	अतः अधिक एवं गलत भुगतान		₹5215799

यद्यपि इस मामले को बार–2 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाया जाता रहा है तदापि मन्दिर न्यास द्वारा उक्त उल्लेखित आयुक्त मन्दिर के निर्णयों की अनुपालना न करना मन्दिर न्यास की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः यह मामला प्रधान सचिव (भाषा एवं संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार के विशेष ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि

उक्त उल्लेखित आयुक्त मन्दिर के निर्णय को तुरन्त प्रभाव से अमल में लाए जाने व वर्ष 2010 तथा गत वर्षों में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली/समायोजन हेतु मन्दिर न्यास प्राधिकारियों को समुचित निर्देश देने की कृपा करें अन्यथा चूककर्ता के विरूद्ध जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आवश्यक वसूली सुनिश्चित की जाए ताकि उक्त प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति पर अंकुश लग सके।

10 वर्ष 2008 से 2011 के दौरान अनूप कुमार, अनुबन्ध अध्यापक, संस्कृत विद्यालय ज्वालामुखी के वेतन के रूप में ₹60131/—के गलत एवं अधिक भुगतान की वसूली बारेः—

श्री अनूप शर्मा, शास्त्री को श्री ज्वालामुखी मन्दिर न्यास के अधीन एवं संचालित संस्कृत विद्यालय में कार्यालय मन्दिर अधिकारी के पत्र संख्या 756 दिनांक 21.7.05 द्वारा ₹5000/—मासिक नियत वेतन पर अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई जिसके बाद एक—एक वर्ष के अन्तराल पर अनुबन्ध को आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा द्वारा बढ़ाया जाता रहा है। दिनांक 1.12.09 से उक्त कर्मचारी का वेतन ₹5000/—से बढ़ाकर ₹6500/—व 1.6.10 से ₹13500/—नियत वेतन कर दिया गया है। उक्त कर्मचारी क्योंकि अनुबन्ध के आधार पर नियत वेतन पर रखा गया है व इस प्रकार उक्त कर्मचारी को संस्कृत विद्यालय के अन्य नियमित अध्यापकों द्वारा व्यतीत शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश के समरूप वेतन देय नहीं बनता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी शिक्षा विभाग से अनुबन्ध पर कार्यरत्त अध्यापकों को शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन नहीं दिया जाता हैं। अतः उक्त अनुबन्ध कर्मचारी को नियुक्ति की तिथि से अब तक दिए गए शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश के वेतन की अदायगी बारे विहित प्रावधानों/अनुदेंशों के दृष्टिगत औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा अनियमित भुगतान की स्थिति में इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए संस्कृत विद्यालय के अवधि 1.1.08 से 31.9.11 के हाजिरी रजिस्टरों की जांच करने पर निम्नलिखित अवधि में उक्त कर्मचारी द्वारा व्यतीत किए गए शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनियमित वेतन भुगतान करने की गणना की गई है। अतः निम्न विवरणानुसार ₹60131/—के अनियिमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व भविष्य हेतु इस प्रकार के अनियमित भुगतान पर अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि	कुल दिन	वेतन के रूप में किया गया अनियमित भुगतान	वसूली योग्य शामिल राशि (₹)
1	1.1.8 से 31.1.8	31	5000 x31 / 31	5000
2	13.5.08 से 31.5.08	19	5000 x19 / 31	3065
3	1.6.08 से 8.6.08	8	5000 x8 / 30	1333
4	1.1.9 से 31.1.09	31	5000 x31 / 31	5000
5	11.5.09 से 31.5.09	21	5000 x21 / 31	3387
6	1.6.09 से 10.6.09	10	5000 x10 / 30	1666
7	25.12.09 से 19.1.10	26	6500 x26 / 31	5452
8	10.5.10 से 31.5.10	22	6500 x22 / 31	4613
9	1.6.10 से 9.6.10	9	13500 x9 / 31	4050
10	1.1.11 से 31.1.11	31	13500 x31 / 31	13500
11	2.5.11 से 31.5.11	30	13500 x30 / 31	13065
			कुल योग	**60131**

11 श्रीमति कामना देवी, सेवादार को वेतन एवं भत्तों के रूप में गलत भुगतान राशि ₹32628/–की वसूली बारेः–

श्रीमति कामना देवी, सेवादार, संस्कृत विद्यालय ज्वालामुखी में कार्यरत है। उक्त सेवादार मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की स्थाई कर्मचारी है। उक्त कर्मचारी द्वारा संस्कृत विद्यालय में वर्ष 2010 व 2011 में पड़ने वाले शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों में अवकाश व्यतीत किया गया जबकि नियमानुसार उक्त कर्मचारी को शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में कार्यरत्त रह कर कार्य करना अनिवार्य है क्योंकि शीतकालीन एव ग्रीष्मकालीन अवकाश केवल अध्यापक वर्ग को देय बनता है जबकि उक्त कर्मचारी द्वारा नियमों के विपरीत निम्नलिखित अवधि में शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश व्यतीत किया गया है। जिसकी पुष्टि संस्कृत विद्यालय के हाजिरी रजिस्टर से की गई है। अतः शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवधि के वेतन भुगतान जो निम्न विवरणानुसार ₹32628/–बनती है, के समर्थन में विहित प्रावधानों/आदेशों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त अनियमित भुगतान की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली की

जानी सुनिश्चित की जाए व भविष्य हेतु अनियमित भुगतान पर अंकुश लगाया जाए तथा अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

वर्ष	शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि	व्यतीत अवकाश के दिनों की सं0	जितनी राशि की वसूली की जानी है (₹)
2009	25.12.09 से 31.12.09	7 दिन	$\frac{6734}{31} x7 = 1521$
2010	1.1.10 से 20.1.10	20 दिन	$\frac{6948}{31} x20 = 4483$
2010	10.5.10 से 31.5.10	22 दिन	$\frac{6948}{31} x22 = 4931$
2010	1.6.10 से 9.6.10	9 दिन	$\frac{8835}{30} x9 = 2651$
2011	1.1.11 से 31.1.11	31 दिन	$\frac{9124}{31} x31 = 9124$
2011	1.5.11 से 31.5.11	31 दिन	$\frac{9918}{30} x31 = 9918$
		वसूली योग्य राशि	**32628**

12 श्री प्रबल कुमार, शास्त्री, संस्कृत विद्यालय की वर्ष 2010 की वार्षिक वेतन वृद्धि न रोकने के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में किया गया गलत एवं अधिक भुगतान ₹10637/–की वसूली बारेः–

श्री प्रबल कुमार, शास्त्री, संस्कृत विद्यालय ज्वालामुखी की सेवापंजिका एवं वैयक्तिक नस्ति की जांच करने पर पाया गया कि आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के कार्यालय आदेश संख्या ए0डी0एम0/मन्दिर 53 व 55 दिनांक 15.1.10 द्वारा उक्त कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचित प्रभाव के बिना रोकने के आदेश दिए गए। उक्त कर्मचारी की वार्षिक वेतन बृद्धि की तिथि प्रथम जनवरी है व नियमानुसार उक्त कर्मचारी के वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष हेतु वर्ष 2010 में रोकी जानी अपेक्षित थी लेकिन मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा उक्त कर्मचारी को वर्ष 2010 अर्थात 1 जनवरी 2010 मे ंवार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान कर दी गई जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारी को वर्ष 2010 से 30.9.11 तक ₹10637/–का गलत एवं अधिक भुगतान वेतन के रूप में हुआ है जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है वेतन के रूप में किए गए गलत एवं अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	दिनांक 31.12.09 को उक्त कर्मचारी का मूल वेतन	6200
2	दिनांक 1.1.10 को गलत प्रदान की गई वार्षिक वेतन वृद्धि उपरान्त मूल वेतन	6400
3	दिनांक 1.1.10 तक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के उपरान्त उक्त कर्मचारी का मूल वेतन जो देय है	6200
4	दिनांक 1.6.10 से संशोधित वेतन प्रदान करने के कारण उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय वेतन+ग्रेड पे	(11540+3200)=14740
5	अवधि 1.6.10 से संशाधित वेतन प्रदान करने के कारण उक्त कर्मचारी को दिया गया गलत एवं अनियमित वेतन+ग्रेड पे	(12200+3200)=15400
6	दिनांक 1.1.11 को वेतन वृद्धि प्रदान करने पर देय संशोधित वेतन+ग्रेड पे	(11990+3200)=15190
7	1.1.11 को वेतन वृद्धि प्रदान करने पर दिया गया गलत एवं अनियमित संशोधित वेतन+ग्रेड पे	(12200+3200)=15400

8 अधिक भुगतान की गणना/विवरण :—

क्र0सं0	**(i)**	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(v)**	**कुल योग**
राशि	1950	+5082	+1512	+ 819	+1274	₹10637

उपरोक्त विवरण का क्रमवार नीचे आंकलन किया गया है:—

(i)	अवधि 1.1.10 से 31.5.10 का बकाया वेतन राशि जो कि बिल संख्या 503 दिनांक 30.11.10 को प्रदान की गई है	₹1950
(ii)	अवधि 1.6.10 से 31.12.10 तक 7 माह हेतु भुगतान किया गया अधिक एवं गलत वेतन की राशि	726x7=5082

भुगतान किए गए वेतन का विवरण:—

वेतन	**ग्रेड पे**	**मंहगाई भत्ता @ 10%**	**मकान किराया भत्ता**	**वर्दी भत्ता**	**स्थायी भत्ता**	**चिकित्सा**	**कुल योग**
12200	3200	1540	200	200	100		17440

नियमानुसार देय वेतन का विवरणः–

वेतन	ग्रेड पे	मंहगाई भत्ता @ 10%	मकान किराया भत्ता	वर्दी भत्ता	स्थायी चिकित्सा भत्ता	कुल योग
11540	3200	1474	200	200	100	16714
				अन्तर (17440–16714) (अधिक भुगतान प्रतिमाह)		726

(iii) अवधि 1.1.11 से 30.6.11 तक 6 माह हेतु भुगतान किया गया अधिक एवं गलत वेतन की राशि=252x6=₹1512

भुगतान किए गए वेतन का विवरणः–

वेतन	ग्रेड पे	मंहगाई भत्ता @ 10%	मकान किराया भत्ता	वर्दी भत्ता	स्थायी चिकित्सा भत्ता	कुल योग (₹)
12200	3200	3080	200	200	100	18980

नियमानुसार देय वेतन का विवरणः–

वेतन	ग्रेड पे	मंहगाई भत्ता @ 10%	मकान किराया भत्ता	वर्दी भत्ता	स्थायी चिकित्सा भत्ता	कुल योग (₹)
11990	3200	3038	200	200	100	18728
				अन्तर (18980–18728)		**₹252**

(iv) अवधि 1.7.11से 30.9.11 तक 3 माह हेतु भुगतान किया गया अधिक एवं गलत वेतन की राशि=273x3=₹819

भुगतान किए गए वेतन का विवरणः–

वेतन	ग्रेड पे	मंहगाई भत्ता @ 10%	मकान किराया भत्ता	वर्दी भत्ता	स्थायी चिकित्सा भत्ता	कुल योग (₹)
12200	3200	4620	200	200	100	20520

नियमानुसार देय वेतन का विवरणः–

वेतन	ग्रेड पे	मंहगाई भत्ता @ 10%	मकान किराया भत्ता	वर्दी भत्ता	स्थायी चिकित्सा भत्ता	कुल योग
11990	3200	4557	200	200	100	20247
				अन्तर (20520–20247)		₹273

(v) कर्मचारी कल्याण निधि में नियोक्ता अंशदान के रूप में किया गया अधिक भुगतान=क्रम संख्या (i)+(ii)+(iii)+(iv) पर किए गए गलत एवं अधिक भुगतान का योग=9363x13. 61%=₹1274

13 श्री हेमन्त कुमार, पुजारी सहायक को माह 12/10 देय 1/11 के वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान राशि ₹3014/–की वसूली बारेः–

श्री हेमन्त कुमार, पुजारी सहायक की सेवा पंजिका एवं व्यक्तिगत नस्ति की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी दिनांक 16.11.10 से 7.12.10 तक 22 दिन बिना वेतन के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर असाधारण अवकाश पर रहा है। नियमानुसार उक्त कर्मचारी को माह 12/10 देय जनवरी 1/11 में 24 दिन का वेतन दिया जाना अपेक्षित था, लेकिन उसे दिसम्बर 2010 देय जनवरी 2011 मे ंपूर्ण माह का वेतन दिया गया है। फलस्वरूप उक्त कर्मचारी की वेतन एवं भत्तों के रूप में 2653 व नियोक्ता अंशदान के रूप में ₹361/–का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है। अतः ₹3043 (2653+361) की वसूली उक्त कर्मचारी से करने के उपरान्त मन्दिर न्यास कोष में जमा करवाई जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए। गलत एवं अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) (i)	12/10 देय 1/11 में दिया गया पूर्ण माह का वेतन	11748
(ii)	माह 12/10 देय 1/11 में देय 24 दिन का वेतन $\frac{11748}{31} x24$	9095
	अधिक वेतन भुगतान	**₹2653**
(ख)	अधिक वेतन पर भुगतान किया गया नियोक्ता का अंशदान (2653x13.61%)	₹361
	कुल वसूली योग्य राशि= 2653+361	**₹3014**

14 तृतीय श्रेणी व स्थायी वेतन पर नियुक्त बेलदारों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमों के विपरीत वर्दी भत्ता प्रदान करने के कारण मन्दिर न्यास कोष को ₹60300/—की वित्तीय हानि

वेतन बिलों की जांच करने पर पाया गया कि आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र संख्या क्रमांक ए0डी0एम0 1/2007 मन्दिर 1144 से 1151 दिनांक 29.12.2007 द्वारा मन्दिरों में कार्यरत्त सभी वर्गो के नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर 1.1.08 से ₹140/—मासिक वर्दी भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी अनुपालना में दिनांक 1.1.08 से मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में कार्यरत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सेवादारों व सफाई सेवकों एवं अन्य नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ₹140/— प्रतिमाह वर्दी भत्ता प्रदान किया गया हैं। इसके उपरान्त 18.6.10 को मन्दिर न्यास प्रशासन की मीटिंग आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के चैम्बर में सम्पन्न हुई, जिसमें जिला कांगड़ा के अधिग्रहीत सभी मन्दिरों के सहायक आयुक्तो एवं एस0डी0एम0 व मन्दिर अधिकारियों, विभिन्न मन्दिरों के न्यास सदस्यों, सहायक नियन्त्रक (बिल एवं लेखा) सहायक अभियन्ता व अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलावा तृतीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों को ₹200/—प्रतिमाह वर्दी भत्ता 1.7.2010 से प्रदान किया जाए। उक्त मीटिंग की कार्यवाही के आधार पर मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा दिनांक 1.7.10 से अर्थात जून देय जुलाई के वेतन से तृतीय श्रेणी कर्मचारियों अर्थात वरिष्ठ सहायकों, वरिष्ठ क्लर्कों, क्लर्कों, अध्यापकों, चित्रकार, मिस्त्री के साथ–2 स्थायी वेतन पर नियुक्त बेलदारों व दैनिक वेतन भोगियों को भी वर्दी भत्ता क्रमशः ₹200/—प्रतिमाह एवं ₹140/—प्रतिमाह प्रदान कर दिया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–2 पर जारी अनुदेशों तथा प्रावधित नियमों के विपरीत है। नियमानुसार कोई भी स्वायत्त संस्था, बोर्ड, निगम, ट्रस्ट/मन्दिर न्यास अपने कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों एवं भत्तों की सीमा से अधिक एवं ज्यादा (over & above) वित्तीय लाभ एवं भत्ते प्रदान करने हेतु सक्षम एवं अधिकृत नहीं है। अतः आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश, कांगड़ा, सरकारी नियमों के विपरीत एवं निर्धारित सीमा से अधिक तृतीय श्रेंणी एवं अस्थायी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता प्रदान करने हेतु सक्षम नहीं है। अतः नियमों के विपरीत तृतीय श्रेणी, स्थायी वेतन पर नियुक्त बेलदारों एवं दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को वर्दी भत्ते का भुगतान करने के कारण मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी कोष को ₹60300/—की वित्तीय हानि हुई है जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से की जानी सुनिश्चित की जाए व इस प्रकार के वर्दी भत्ते के अनियमित भुगतान को तुरन्त प्रभाव से रोका जाए। उक्त ₹60300/—के गलत एवं अनियमित वर्दी भत्ते के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	अवधि	कुल संलिप्त महीने	वर्दी भत्ते की दर	गलत एवं अनियमित भुगतान/वसूली योग्य राशि (₹)
1	आर्दश बाला	वरिष्ठ सहायक	6/10 से 8/11	15	200	3000
2	अन्जु शर्मा	वरिष्ठ सहायक	6/10 से 8/11	15	200	3000
3	मनोहर लाल	वरिष्ठ सहायक	6/10 से 8/11	15	200	3000
4	राणो देवी	वरिष्ठ क्लर्क	6/10 से 3/11 4/11 से ब्रजेश्वरी मन्दिर कांगड़ा को स्थानांतरित	9	200	1800
5	देश राज	वरिष्ठ क्लर्क	6/10 से 8/11	15	200	3000
6	अशोक कुमार	वरिष्ठ क्लर्क	6/10 से 8/11	15	200	3000
7	कमल कुमार	वरिष्ठ क्लर्क	6/10 से 7/11, 8/11 से राम गोपाल मन्दिर डमटाल को स्थानांतरित	13	200	2600
8	नरेश कुमार	वरिष्ठ क्लर्क	6/10 से 8/11	15	200	3000
9	बलदेव सिंह	क्लर्क	6/10 से 7/11, 8/11 से ब्रजेश्वरी मन्दिर कांगड़ा को स्थानांतरित	13	200	2600
10	विवेक सूद	कनिष्ठ अभियन्ता	6/10 से 7/11, 8/11 से राम गोपाल मन्दिर डमटाल को स्थानांतरित	13	200	2600
11	प्रबल कुमार	शास्त्री	9/10 से 9/11	13	200	2600
12	मोहिन्द्र	शास्त्री	9/10 से 9/11	13	200	2600
13	वीना देवी	शास्त्री	9/10 से 9/11	13	200	2600
14	रमेश चन्द	मिस्त्री	6/10 से 8/11	15	200	3000
15	जोगिन्द्र	चित्रकार	6/10 से 8/11	15	200	3000
16	जनक राज	बेलदार (स्थायी वेतन)	6/10 से 8/11	15	140	2100
17	मोहिन्द्र	बेलदार (स्थायी वेतन)	6/10 से 8/11	15	140	2100
18	प्रीतम चन्द	बेलदार (स्थायी वेतन)	6/10 से 8/11	15	140	2100
19	दशरथ	बेलदार (स्थायी	6/10 से 8/11	15	140	2100

		वेतन)				
20	लेख राज	बेलदार (स्थायी वेतन)	6/10 से 8/11	15	140	2100
21	सुरेश कुमार	दैनिक भोगी	6/10 से 8/11	15	140	2100
22	भुवनेश कुमार	दैनिक भोगी	6/10 से 8/11	15	140	2100
23	बृन्दला कुमारी	दैनिक भोगी	6/10 से 8/11	15	140	2100
24	शकुन्तला	दैनिक भोगी	6/10 से 8/11	15	140	2100
					योग	**60300**

15 ₹2910/–का दुरूपयोगः–

मन्दिर न्यास की आय की जांच करने पर पाया गया कि आय प्राप्ति हेतु काटी गई रसीदों से प्राप्त होने वाली आय को वास्तविक राशि से कम राशि मन्दिर कोष में जमा करवा कर सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा ₹2910/–का दुरूपयोग किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनांक	रसीद संख्या	वास्तविक योग	जमा करवाई गई राशि	अन्तर (कम जमा करवाई गई राशि)	कर्मचारी का नाम
1	12.10.10	69931 से 69987 (₹50 वाली)	57x50=2850	2350	500	अवतार सिंह
2	10.8.10	को विभिन्न रसीदों से प्राप्त आय का	7920	7820	100	अवतार सिंह
3	30.5.10	62156 से 62182 (₹100 वाली)	31x100=3100	3000	100	अवतार सिंह
4	23.3.10	7408 से 7468 (₹10 वाली)	61x10=610	600	10	अवतार सिंह
5	29.3.10	62133 से 62142 (₹50 वाली)	10x50=500	–	500	अवतार सिंह
6	14.3.10	2500 (₹20 वाली)	1x20=20	–	20	अवतार सिंह
7	6.5.10	7971 से 7976 (₹10 वाली)	6x10=60	–	60	अवतार सिंह

8	9.5.10	61267 से 61283 (₹100 वाली)	17x100=1700	1600	100	कमल कुमार
9	1.6.10	11330 से 11366 (₹10 वाली)	37x10=370	270	100	कमल कुमार
10	28.3.10	7686 से 7700 (₹10 वाली)	15x10=150	50	100	रजिन्द्र कुमार
11	26.4.10	0060701 से 0060718 (₹100 वाली)	18x100=1800	1700	100	रजिन्द्र कुमार
12	21.5.10	4260 से 4261 (₹20 वाली)	2x20=40	20	20	रजिन्द्र कुमार
13	24.5.10	8449 से 8453 (₹10 वाली)	5x10=50	40	10	रजिन्द्र कुमार
14	23.6.10	4294 से 4296 (₹20 वाली)	3x20=60	40	20	रजिन्द्र कुमार
15	12.4.10	4220 से 4222 (₹20 वाली)	3x20=60	—	60	रजिन्द्र कुमार
16	11.10.10	22613 (₹500 वाली)	1x500=500	—	500	रजिन्द्र कुमार
17	15.4.10	7775 (₹10 वाली)	1x10=10	—	10	रजिन्द्र कुमार
18	7.11.10	को विभिन्न रसीदों से प्राप्त आय का	9200	8200	1000	रजिन्द्र कुमार
				योग	**3310**	
19	31.10.10	66068 से 66100 (₹100 वाली)	33x100=3300	3700	400 (अधिक जमा)	
				कुल योग	**2910**	

क्रम संख्या 1 से 7 तक की कुल राशि ₹1290/—जिसका श्री अवतार सिंह सहायक विद्युतकार द्वारा, क्रम संख्या 8 व 9 तक की कुल राशि ₹200/—जिसका श्री कमल कुमार लिपिक लंगर द्वारा, क्रम संख्या 10 से 19 तक की कुल राशि ₹1420/—जिसका श्री रजिन्द्र कुमार, सहायक विद्युतकार द्वारा दुरूपयोग किया गया हैं। उक्त राशि के दुरूपयोग का प्रकरण अंकेक्षण के दौरान ही मन्दिर न्यास के ध्यानार्थ लाया गया जिसकी अनुपालना में श्री

अवतार सिंह सहायक विद्युतकार द्वारा रसीद संख्या 00 15539 दिनांक 17.11.2011 राशि ₹1290/– श्री रजिन्द्र कुमार सहायक विद्युतकार द्वारा रसीद संख्या 00 15536 दिनांक 17.11.2011 राशि ₹1420/–व श्री कमल कुमार लिपिक लंगर द्वारा रसीद संख्या 00 15537 दिनांक 17.11.2011 राशि ₹200/–मन्दिर कोष में जमा करवां दिए हैं व वसूली की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है। भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता से बचने हेतु नियन्त्रणाधिकारी आन्तरिक जॉच प्रणाली की उचित व सुदृढ़ व्यवस्था करने हेतु समुचित पग उठाये।

16 शान्ति स्वरूप सेवादार को बकाया वेतन के रूप में ₹105/–का गलत एवं अधिक भुगतानः–

बकाया वेतन बिल की जांच करने पर पाया गया कि माह 12/10 में श्री शान्ति स्वरूप सेवादार को बकाया वेतन के रूप में ₹105/–का अधिक भुगतान हुआ है। उक्त कर्मचारी द्वारा जून माह में 9 दिन कार्य किया है व 9 दिन का बकाया वेतन 9918x9/30=₹2975/–बनता है जबकि बकाया वेतन की गणना करते समय 9 दिन का वेतन ₹3080/–आंका गया है। फलस्वरूप 1 माह के बकाया वेतन के रूप में ₹105/–का अधिक भुगतान हुआ है। जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से रसीद संख्या 00 15538 दिनांक 18.11.11 द्वारा अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है व अनुपालना की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है। भविष्य मे ंउक्त प्रकार की वित्तीय अनियमितता न दोहराई जाए।

17 मनोहर लाल, वरिष्ठ सहायक को बकाया वेतन के रूप में ₹163/–का अधिक भुगतानः–

माह 12/10 में भुगतान किया गया बकाया वेतन बिल की जांच करने पर पाया गया कि मनोहर लाल, वरिष्ठ सहायक को बकाया वेतन के रूप में ₹163/–का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः'–

अवधि 1.6.10 से 30.9.10 तक देय बकाया वेतन	20167
अवधि 1.6.10 से 30.9.10 तक दिया गया बकाया वेतन	20330
अधिक एवं गलत भुगतान	**163**

उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली का प्रकरण अंकेक्षण द्वारा उजागर करने के उपरान्त अधिक एवं गलत भुगतान ₹163/–रसीद संख्या 0015539 दिनांक 18.11.11 द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर लिए गए है व वसूली की सत्यापना/पुष्टि अंकेक्षण में कर दी गई है।

18 जनरेटर सैट का क्रय निविदा न भरने वाली फर्म से उच्च दरों पर करने के कारण मन्दिर न्यास को हुई वित्तीय हानि ₹249321/–के सन्दर्भ में:–

जनरेटर क्रय नस्ति की टिप्पणी संख्या 1 के अनुसार मन्दिर परिसर का कुल विद्युत लोड 91.82 किलोवाट है जो कि सहायक अधिशाषी अभियन्ता विद्युत उपमण्डल–1 ज्वालामुखी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस लोड की आपूर्ति हेतु उन्होने 125 KVA का जनरेटर लगवाने का सुझाव दिया था, जिसको क्रय करने की स्वीकृति क्रमांक ए0डी0एम0 1/2009 मन्दिर 44 दिनांक 14.1.09 कार्यालय आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा प्रदान की गई। उक्त 125 KVA का जनरेटर सैट क्रय करने हेतु मन्दिर न्यास में तीन फर्मों से निविदाएं प्राप्त हुई है जिनका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से है:–

1	सुधीर जनरेटर लिमिटेड केबिन नम्बर–15, फिरोजपुर रोड लुधियाना	6,00,000
2	जगत गोपाला एंड कम्पनी शोरूम नम्बर–58 सैक्टर 26, चण्डीगढ़	7,32,000
3	ग्रीन फील्ड इन्टर प्राईजिज कठुआ जम्मू एंड कश्मीर मुख्यालय सैक्टर 28 चण्डीगढ़	5,98,000

तुलनात्मक अध्ययन जो कि कनिष्ठ अभियन्ता, मन्दिर अधिकारी व सहायक मन्दिर आयुक्त एवं एस0डी0एम0 देहरा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है के अनुसार मैसर्ज ग्रीन फील्ड उद्यमी कठुआ की दर ₹598000/–न्यूनतम थी व न्यूनतम होने के कारण 125 KVA Silent DG Set का क्रय उक्त फर्म से किया जाना अपेक्षित था। आपूर्ति पत्र जो कि कार्यालय आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा द्वारा पत्र संख्या No. ADM/temple 68.74 दिनांक 18.1.10 के द्वारा जारी किया गया वह 125 KVA की जगह 160 KVA के 3 जनरेटर सैट ₹847321/–प्रति जनरेटर सैट की दर से मैसर्ज पावर वेबस इण्डस्ट्रीज एस0ए0एस0 मोहाली को जारी किया गया व तदोपरान्त क्रय कार्यालय आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा द्वारा जिला कांगड़ा में स्थित तीनों मन्दिरों हेतु ₹2541963/–के तीन जनरेटर ₹847321/–प्रति जनरेटर सैट की दर से क्रय किया गया व प्रत्येक मन्दिर न्यास कोष से ₹847321/–का भुगतान मैसर्ज पावर वेवस इण्डस्ट्रीज को किया गया है। जनरेटर सैट हेतु उक्त फर्म द्वारा निविदा न भरने के बावजूद आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के कार्यालय द्वारा अपने स्त्तर पर निर्धारित एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए बगैर एवं 125 KVA की जगह 160 KVA का जनरेटर सैट का क्रय तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार न्यूनतम दर ₹598000/–भरने वाली फर्म ग्रीन फील्ड इन्टरप्राईजिज से न करने की बजाए सम्बन्धित आपूर्ति कर्ता फर्म मैसर्ज पावर वेवस इन्डस्ट्रीज जिसने निविदा भरी ही नहीं थी, को अप्रत्याशित एवं अपरोक्ष लाभ पहुचाने के उद्देश्य से क्रय किया गया, जिसके कारण श्री ज्वालामुखी मन्दिर न्यास कोष पर

₹249321/–के अतिरिक्त वित्तीय हानि हुई है। अतः बिना समझौतावार्ता एवम औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना जनरेटरों की उक्त खरीद बारे ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त क्रय के परिणामस्वरूप मन्दिर न्यास को हुई वित्तीय हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए चूककर्ता अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नियमानुसार क्षतिपूर्ति की जाए व कृत कार्रवाई से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा लंगर बनाने, परोसने व सफाई व्यवस्था के कार्य का ठेका प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले संविदाकार को न देकर द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाले संविदाकर को देने के फलस्वरूप 18 माह के दौरान मन्दिर न्यास को ₹376200/–की वित्तीय हानिः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा लंगर बनाने, परोसने व सफाई व्यवस्था के कार्य का ठेका ₹60000/–प्रति माह की दर से श्री विपिन कुमार अवस्थी को अवधि 1.3.10 से 31.8.10 तक दिया गया है। उक्त कार्य को ठेके पर देने से पूर्व पूर्ण की गई औपचारिकताओं की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य हेतु निम्नलिखित संविदाकारों द्वारा प्रथम, द्वितीय न्यूनतम दरें अपनी निविदाओं में भरी गई है। जिसकी पुष्टि तुलनात्मक विवरण में स्वतः स्पष्ट है।

(i)	विपिन कुमार, अवस्थी पाईसा	₹60000
(ii)	रिखी रमन कपूर, कांगड़ा	₹39100

न्यास द्वारा उक्त लंगर बनाने, परोसने व सफाई व्यवस्था का कार्य प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले संविदाकार श्री रिखी रमन कपूर को ₹39100/–प्रति माह की दर से न देकर उच्च दर ₹60000/–प्रतिमाह भरने वाले व्यक्ति विपिन कुमार अवस्थी को अवधि 1.3.10 से 31.8.10 व पुनः 1.9.10 से 31.8.11 तक बिना समझौता वार्ता के 20900/–अधिक दर वाली फर्म के पक्ष में ठेके पर दे दिया गया। जिसके फलस्वरूप मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के कोष को 18 माह के दौरान ₹20900/–प्रतिमाह की दर से ₹376200/–की वित्तीय हानि हुई है। अतः उक्त प्रकरण में समझौता वार्ता बिना ₹39100/– की नवीनतम निविदा दर को अस्वीकार कर ₹60000/–की उच्च दर को स्वीकृत किये जाने बारे ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस मामले में वित्तीय हानि का उत्तरदायित्व निर्धारण करके नियमानुसार क्षतिपूर्ति हेतु यथोचित कार्रवाई अमल में लाई जाए व कृत कार्रवाई से यथासमय इस विभाग को अवगत किया जाए।

20 लंगर संचालन ठेके पर देने के कारण 2 मुख्य रसोईयों व 2 सहायक रसोईयों के सेवाएं मन्दिर न्यास हेतु अनुपयोगी होने के कारण मन्दिर न्यास कोष पर लाखों रूपये का अनावश्यक वित्तीय बोझः—

लंगर संचालन ठेके पर देने से पूर्व मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के लंगर में निम्नानुसार 17 कर्मचारी कार्यरत्त रहे हैः—

1	लंगर प्रभारी	1
2	मुख्य रसोईया	3
3	सहायक रसोईया	3
4	सफाई सेवक / सेवादार	10
	कुल संख्या	17

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी का लंगर संचालन ठेके पर देने के कारण लंगर प्रभारी के अलावा 16 कर्मचारी (3 मुख्य रसोईया, 3 सहायक रसोईया व 10 सफाई सेवक / सेवादार) की सेवाएं लंगर से मुक्त हुई है। लंगर संचालन ठेके पर देने का निर्णय सफाई कर्मचारियों की कमी व लंगर ठीक ढंग से रसोईयों द्वारा न बनाने के कारण लिया गया दर्शाया है। स्वभाविक है कि सफाई सेवको / सेवादारो से सफाई का कार्य लिया गया है लेकिन 2 मुख्य रसोईयों व 2 सहायक रसोईयों को अवधि 1.3.10 से 31.8.11 तक के दौरान किस प्रकृति का एवम कहॉ कार्य लिया गया, बारे डयूटी चार्ट उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे स्वतः स्पष्ट है कि 2 रसोईयों व 2 सहायक रसोईयों की सेवाएं लंगर संचालन ठेके पर देने के कारण अनुपयोगी रही है व इसके बावजूद 18 महीनों में उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों को प्रतिमाह की दर से लाखों रूपये वेतन व भत्तों के रूप में दिए जाते रहे है। जब मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में 3 मुख्य रसोईए व 3 सहायक रसोईए के पद सृजित एवं भरे हुए है तब लंगर संचालन ठेके पर देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी का लंगर पूर्व की भान्ति मन्दिर न्यास के द्वारा स्वंय चलाया जाए ताकि लंगर संचालन ठेके पर देने के कारण मन्दिर न्यास कोष से प्रतिमाह भुगतान किए जा रहे ₹60000 / —मासिक अथवा ₹720000 / —वार्षिक अनावश्यक व्यय को रोका जा सके अथवा वैकल्पिक तौर पर 2 मुख्य रसोईयो व 2 सहायक रसोईयों को मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी मन्दिर से अन्य मन्दिरों जहां रसोईयों एवं सहायक रसोईयों के पद खाली है, स्थानान्तरित / समायोजन किया जाए ताकि मन्दिर न्यास कोष पर उनके अनुपयोगी सेवाओं के बावजूद वेतन एवं भत्तो के रूप में प्रतिमाह भुगतान किए जा रहे लाखों रूपयोग के वित्तीय बोझ को कम किया जा सके व उनकी सेवाओं का सदुपयोग सम्भव हो सके। यहां यह कहना भी तर्कसंगत होगा कि मन्दिर न्यास में "माता जी की रसोई" हेतु केवल मुख्य रसोईया व एक सहायक रसोईया की सेवाएं ही पर्याप्त है।

21 लंगर संचालन ठेकेदार को 18 माह के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा ₹258246/–का परोक्ष रूप से अनियमित अनैतिक एवं अप्रत्याशित लाभः'–

लंगर संचालन ठेके पर देने के बावजूद राशन साफ–सफाई हेतु मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा कमला देवी नियमित सफाई सेवक व वृन्दला देवी दैनिक वेतन भोगी सेवादार जिनका वेतन क्रमशः ₹10747/–व ₹3600/–कुल ₹14347/–मासिक है, को लंगर में राशन सफाई हेतु अवधि 1.3.10 से 31.8.11 तक तैनात रखा है, जिसकी पुष्टि कर्तव्य चार्ट से हुई है। अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप लंगर बनाने, परोसने व सफाई इत्यादि का कार्य ठेकेदार द्वारा स्वंय अपने कर्मचारियों से करवाया जाना था जिस हेतु 4 रसोईए व 10 सफाई कर्मचारी ठेकेदार द्वारा नियुक्त करने अनिवार्य है लेकिन इसके बावजूद मन्दिर न्यास द्वारा अपने दो कर्मचारियों की डयूटी लंगर में लगाने के कारण सम्बन्धित ठेकेदार को ₹14347/–प्रतिमाह की दर से 18 माह ₹258246/–का अनैतिक एवं अप्रत्याशित लाभ दिया गया है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि लंगर ठेकेदार द्वारा मन्दिर न्यास के साथ मिलीभगत करके अपने कर्मचारी कम रखे गए है व मन्दिर के दो कर्मचारियों की सेवाएं प्रयोग में लाई गई है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मन्दिर न्यास के पास ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं है, जिससे इस बात की पुष्टि की जा सके कि ठेकेदार द्वारा वास्तव में 4 रसोईये व 10 अन्य कर्मचारी लंगर में नियुक्त किए गए है। अतः उक्त ₹258246/–के परोक्ष लाभ अर्थात दोनों कर्मचारियों के 78 माह के वास्तविक वेतन की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले आगामी प्रतिमाह के बिलों से की जानी सुनिश्चित की जाए व तुरन्त प्रभाव से कमला देवी नियमित सफाई सेवक व वृन्दला देवी दैनिक वेतन भोगी सेवादार की सेवाएं लंगर से हटाकर मन्दिर न्यास के अन्य उपयोगी स्थान पर सेवाएं ली जाएं ताकि मन्दिर न्यास को अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े।

22 बिना टैण्डर बुलाए लंगर संचालन के ठेके की अवधि 12 माह बढ़ानाः–

अवधि 1.9.10 से 31.8.11 तक का 12 माह का लंगर संचालन का ठेका पूर्व (अवधि 1.3.10 से 31.8.10 हेतु) में उच्च दर भरने वाले संविदाकार श्री विपिन कुमार अवस्थी को पूर्व दरों पर ही ₹60000/–प्रतिमाह की दर से आगामी एक वर्ष हेतु बिना टैण्डर बुलाए ही दिया गया है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए कि किन कारणों से पूर्व में उच्च दर भरने वाले संविदाकार को बिना टैण्डर बुलाए पूर्व निर्धारित दरों पर ही लंगर संचालन का ठेका दे दिया गया है। यहां यह भी उल्लेख करना तर्क संगत होगा कि श्री ज्वालामुखी मन्दिर करोंड़ों लोगों की आस्था का धार्मिक एवं पवित्र स्थल है व ऐसे कई श्रद्धालु गत वर्षों से मन्दिर से जुडे है जिन्होने प्रतिवर्ष लाखों रूपये का दान मन्दिर में दिया है एवं विकास कार्य स्वयं मन्दिर में करवाए है। ऐसे में यह भी सम्भव था कि मन्दिर न्यास लंगर संचालन का कार्य कोई भी श्रद्धालु अति न्यूनतम दरों पर करने को तैयार हो जाता अगर उक्त प्रयोजन से अखबारों में विज्ञापन आदि दिया जाता। उक्त वास्तविकता के समर्थन में यहां यह उल्लेख

करना उचित होगा कि अम्बाला के तीन श्रद्धालुओं की प्रेरणा एंड कम्पनी गत कई वर्षों से मन्दिर के भण्डारे हेतु चावलों की आपूर्ति बिना किसी धनराशि लिए कर रही है। अतः बिना निविदा बुलाए पूर्व की उच्च दरों पर ही लंगर संचालन का कार्य ठेकेदार श्री विपिन कुमार अवस्थी को देना वित्तीय नियमों की अवहेलना है व परोक्ष रूप में अनुचित लाभ दिया जा रहा है।

(i) इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण में अर्थात अवधि 1.3.10 से 31.8.10 तक 6 माह हेतु व अवधि 1.9.10 से 31.8.11 तक 12 माह हेतु लंगर संचालन ठेके पर देने से पूर्व अखबारों में निविदा सूचना विज्ञापित न करने का कारण स्पष्ट किया जाए जबकि 6 माह के ठेके की राशि **₹**360000/–व 12 माह हेतु ठेके की राशि **₹**720000/–बनती है व ऐसी अवस्था में निविदा का प्रकाशन दो स्थानीय अखबारों व एक राज्य स्तरीय अखबार मे किया जाना नितांत आवश्यक था, ताकि विस्तृत क्षेत्र में दर प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सकता था। अतः इस बारे भी वस्तु स्थिति/औचित्यता स्पष्ट की जाए।

23 कॉमन पूल को अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई राशि 4 लाख रूपये बारेः–

मन्दिर न्यास कोष से वाउचर संख्या 211 दिनांक 17.5.10 के अन्तर्गत 4 लाख रूपये जिला कांगड़ा मन्दिर कॉमन पूल को बिना प्रावधानों के हस्तांतरित किए गए है। उक्त राशि आयुक्त मन्दिर के पत्र संख्याः ए0डी0एम0–1/10 मन्दिर 131–33 दिनांक 1.2.10 के आदेशानुसार कांगड़ा जिला के अधीन सभी मन्दिरों मां ज्वाला जी, मन्दिर मां ब्रजेश्वरी, मां चामुण्डा मन्दिर से प्रति वर्ष हस्तांतरित की जाती है। ज्वालाजी मन्दिर कोष से कॉमन पूल हेतु राशि हस्तांतरित करने का कांगड़ा मन्दिर न्यास अधिनियम व हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक हिन्दू विन्यास अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है व न ही कॉमन पूल बनाने का कोई प्रावधान ही है। प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जा रही लाखों रूपये की राशि को किन नियमों के अन्तर्गत किन–2 उद्देश्यों पर व्यय किया जाता है, का भी ब्यौरा मन्दिर न्यास के पास उपलब्ध नहीं है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि जब कांगड़ा मन्दिर न्यास अधिनियम व हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक हिन्दु विन्यास अधिनियम में कॉमन पूल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है व कॉमन पूल का आदेशों के विपरीत कृत्रिम निर्माण व प्रति वर्ष लाखों रूपये की राशि का मन्दिर न्यास कोष से हस्तांतरण करना व हस्तांतरित राशि का स्वेच्छानुसार व्यय करना आदि तथ्य किसी गम्भीर वित्तीय अनियमितता को उजागर करते हैं व हस्तांतरित राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा पहले भी आपतियॉ उठाई गई है लेकिन मन्दिर न्यास प्राधिकारियो द्वारा इस ओर कोई ध्यान न दे कर अनियमितता की पुनरावृति हो रही है जिससे अंकेक्षण का प्रायोजन ही निष्फल हो जाता है। अतः यह मामला पुनः मुख्य आयुक्त मन्दिर हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यानार्थ तुरन्त यथोचित कार्रवाई करने के प्रायोजन से लाया जाता है अन्यथा मन्दिर न्यास के धन का कॉमन पूल में स्थानान्तरित करने पर अनावश्यक रूप से अनियमित व्यय हो रहा है,

जिसका लेखा–जोखा अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जो निश्चित ही गम्भीर मामला है।

24 डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को दी गई राशि ₹20 लाख बारेः–

जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 29.1.10, 18.5.10, 27.9.10 तथा दिनांक 31.12.10 को क्रमशः ₹5 लाख अर्थात कुल ₹20 लाख की राशि आयुक्त मन्दिर के आदेशानुसार डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को जारी की गई है। यह राशि अनुदान/ग्रांट के रूप में दी गई है या फिर आर्थिक सहायता के रूप में दी गई है, इस स्थिति से सम्बन्धित शैक्षणिक संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर अनुदान राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है व अगर यह राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई है तब सम्बन्धित डिग्री कॉलेज का आय व्यय का विवरण प्राप्त करना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सम्बन्धित शैक्षणिक संस्था द्वारा अपने खातों से प्राप्त आय का उचित एवं सही उपयोग किया गया है व उक्त संस्था को वास्तव में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, बारे भी पुष्टि हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का संचालन मन्दिर के अधीन है व प्रत्येक वर्ष लाखों रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्थिति में उक्त डिग्री कॉलेज के आय व व्यय का अंकेक्षण करवाया जाना अनिवार्य है, क्योकि छात्रों से शुल्क एवं निधियों के रूप में कई लाखों रूपये की प्रति वर्ष आय प्राप्त होती है व उक्त आय का नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों पर ही व्यय किया गया है या नहीं, की सत्यापना अंकेक्षण के अभाव में सम्भव नहीं है। अतः मन्दिर प्रशासन से अनुरोध है कि उक्त राशि अनुदान स्वरूप प्रदान की गई है तो इस स्थिति में इस राशि व गत वर्षों में प्रदान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त करके जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाएं अन्यथा वित्तीय सहायता व संचालन मन्दिर न्यास का होने की अवस्था में उक्त संस्था की आय व्यय का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग से करवाया जाना अपेक्षित है।

25 नियमों के विपरीत प्रधानाचार्य, ज्वालाजी शिक्षा समिति को ₹3 लाख ऋण देने व वसूली न करने बारेः–

श्री ज्वालामुखी मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 9.4.10 को ज्वाला जी शिक्षा समिति द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी के प्रधानाचार्य को चैक संख्या 6713 के अन्तर्गत ₹300000/–का ऋण साईंस ब्लॉक के निर्माण हेतु दिया गया है जो कि नियमों के विपरीत है। हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक विन्यास अधिनियम 1984 व मन्दिर न्यास अधिनियम 2000 के नियमों में किसी भी शिक्षा समिति को मन्दिर न्यास कोष से ऋण देने का प्रावधान नहीं है। जहां मन्दिर न्यास कोष से वर्ष 2010 के दौरान ₹20 लाख उक्त डिग्री कॉलेज को वित्तीय सहायता/ग्रांट प्रदान की गई है वहीं दूसरी तरफ ₹300000/–का ऋण साईस ब्लॉक के निर्माण हेतु दिया जाना अनियमित है। अतः ऋण स्वरूप दी गई राशि को

सम्बन्धित डिग्री कॉलेज से वसूला जाना व मन्दिर कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 बजट में प्रावधान के बगैर किए गए व्यय राशि ₹1133663/–के बारेः–

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2010 में जिन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय करने का कोई भी प्रावधान बजट में नहीं किया गया था, उन शीर्षों पर भी मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2010 में ₹1133663/–अनाधिकृत रूप से व्यय किए गए है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है,। इस व्यय की सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए व भविष्य में बजट के प्रावधान बिना अनियमित रूप से व्यय किए जाने बारे निश्चित तौर पर परिहार किया जाए।

क्र0सं0	**शीर्ष का नाम**	**वर्ष 2010 में व्यय**
1	सिक्योरिटी/धरोहर राशि वापिस	105000
2	कोर्ट केस	64600
3	शौचालयों व यात्री निवास को ठेके पर देने की सूचना	10141
4	जनरेटर खरीदने पर	839660
5	मन्दिर मार्ग नवम्बर–1 को सफाई	114262
	कुल योग	**1133663**

27 ₹892353/–वर्ष 2010 में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करने बारेः–

निम्नलिखित शीर्षों/उपशीर्षों के अन्तर्गत किए गए बजट प्रावधान से वर्ष 2010 में अधिक व्यय किया गया है जो कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुपूरक बजट या पुनर्विनियोजन द्वारा व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित था अन्यथा इस प्रकार का किया गया व्यय अनाधिकृत है। अतः इस प्रकार के व्यय के नियमितकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए व बजट में किए गए प्रावधान के अनुरूप तथा सीमा में ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**शीर्ष का नाम**	**स्वीकृत बजट**	**वास्तविक बजट**	**अधिक व्यय (₹)**
1	कर्मचारी वेतन	10000000	10699874	699874
2	नवरात्रा मेलों पर	1050000	1242479	192479
			कुल योग	**892353**

28 सेवा पंजिकाओं में अर्जित अवकाश परिणित अवकाश व असाधारण अवकाश की प्रविष्टियॉ न करने बारेः–

(i) अश्वनी कुमार, सहायक रसोईया की व्यक्तिगत नस्ति की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी दिनांक 26.9.10 से 2.10.10 तक 7 दिन स्वेच्छानुसार बिना वेतन एवं बगैर चिकित्सा प्रमाण पत्र के असाधारण अवकाश पर रहा है। लेकिन उक्त कर्मचारी की सेवापंजिका में उपरोक्त 7 दिन की अवधि की असाधारण अवकाश सेवा अवरोध की प्रविष्टि नहीं की गई है।

(ii) हेमन्त कुमार, पुजारी सहायक दिनांक 15.11.09 से 30.11.09 तक स्वेच्छानुसार डयूटी से अनुपस्थित रहा है। लेकिन उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका में उपरोक्त उल्लेखित अवकाश की प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई।

(iii) मुकेश कुमार, सेवादार दिनांक 18.7.10 से 21.8.10 कुल 35 दिन अर्जित अवकाश पर रहा है लेकिन उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका में अवकाश खाते में 35 दिन के अर्जित अवकाश की डेविट प्रविष्टि नहीं की गई है। अतः उक्त मामलों में सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियॉ की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए तथा भविष्य मे उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

29 वास्तविक शेष अर्जित अवकाश व परिणित अवकाश से अधिक शेष अर्जित अवकाश एवं परिणित अवकाश दर्शानाः–

(i) शेर सिंह सफाई सेवक की सेवा पंजिका के अवकाश खाते में दिनांक 31.12.10 को 132 दिन अर्जित अवकाश व 88 दिन परिणित अवकाश/अर्द्ध वेतन अवकाश शेष बचता है लेकिन उक्त कर्मचारी के खाते में 135 दिन अर्जित अवकाश व 98 दिन अर्द्ध वेतन अवकाश शेष दर्शाया गया है। फलस्वरूप 3 दिन का अर्जित अवकाश तथा 10 दिन का अर्द्ध वेतन अवकाश अधिक दर्शाया गया है।

(ii) ज्ञान चन्द सेवादार की सेवापंजिका के अवकाश खाते में दिनांक 31.12.10 को अर्जित अवकाश 11 दिन शेष है। जबकि उसके खाते में 15 दिन अर्जित अवकाश शेष दर्शाया गया है। फलस्वरूप 4 दिन अर्जित अवकाश अधिक दर्शाया गया है।

अतः उक्त कर्मचारियों की सेवापंजिकाओं में अवकाश खाते में अधिक दर्शाए गए शेष अवकाश में आवश्यक संशोधन किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत किया जाए।

30 सेवा पंजिका में जन्म तिथि में 2010 में बदलाव करना:–

श्री मचलू राम, सहायक रसोईया की सेवा पंजिका में उसकी जन्म तिथि 12.5.71 दर्शाई गई है जिसे वर्ष 2010 में कांट छांट करके 3.12.1972 दर्शाया गया है। पूर्व मे प्रथम स्थायी नियुक्ति जो कि 1.1.2000 को हुई है, के वक्त उक्त कर्मचारी की जन्म तिथि शपथ पत्र के आधार पर 12.5.71 दर्शाना व वर्ष 2010 में पहली कक्षा के विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र जो कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला सामरा, चम्बा द्वारा जारी किया गया है, में जन्म तिथि 3.12.1972 दर्शाना आपस में विरोधाभासी है। अतः उक्त स्कूल त्याग प्रमाण पत्र की जांच पड़ताल/सत्यापना खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी चम्बा से कारवाई जानी अपेक्षित है या पंचायत के अभिलेख से सत्यता की पुष्टि की जानी अपेक्षित है ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके तथा वास्तविक तथ्यों सें आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 श्री गगन कुमार, सफाई सेवक की सेवा पंजिका में 939 दिन की सेवा अवरोध अवधि की प्रविष्टि न करना:–

सेवापंजिकाओं एवं व्यक्तिगत नस्तियों की जांच करने पर पाया गया कि गगन कुमार, सफाई सेवक वर्ष 2006 से वर्ष 2010 तक के दौरान 939 दिन स्वेच्छा से असाधारण अवकाश पर बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के रहा है जिसकी पुष्टि उक्त कर्मचारी की व्यक्तिगत नस्ति की जांच करने पर हुई है। उक्त कर्मचारी की सेवापंजिका में स्वेच्छा से असाधारण अवकाश बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के व्यतीत करने व 939 दिन की अवधि की ब्रेक इन सर्विस/Diesnon पीरियड करने की प्रविष्टि दर्ज नहीं है। अतः उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका में वांछित प्रविष्टियां अब दर्ज कर ली जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त कर्मचारी वर्ष 2006 से लगातार स्वेच्छा से बिना किसी बीमारी के असाधारण अवकाश व्यतीत कर रहा है लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा उक्त कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही नहीं की गई है। यद्यपि यह मामला प्रशासनिक है तदापि इस प्रकरण में प्रशासन द्वारा चुपी साधना उचित नहीं है। अतः इस मामले को शीध्रातिशीध्र विभागीय जॉच करके निपटारे हेतु तुरन्त उचित कार्रवाई की जाए। बिना किसी बिमारी के स्वेच्छानुसार डयूटी से अनुपस्थित रहे दिनों का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से है:–

वर्ष	**स्वेच्छानुसार बिना किसी बिमारी के अनुपस्थित रहे दिवसों की संख्या**
2006	115 दिन
2007	126 दिन
2008	279 दिन
2009	231 दिन
2010	188 दिन
कुल दिन	939 दिन

वर्ष 2009 व 2010 मे स्वेंच्छानुसार बिना किसी बिमारी के अनुपस्थित रहे दिवसों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अवधि	कुल दिवस
2009	31.3.09 से 10.6.09	72 दिन
2009	20.7.09 से 31.12.09	159 दिन
		231 दिन
2010	1.1.10 से 3.3.10	62 दिन
	10.4.10 से 16.4.10	7 दिन
	4.8.10 से 30.11.10	119 दिन
		188 दिन

32 लंगर के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न तिथियों को स्टॉक रजिस्टर से जारी की गई मात्रा को घटाने उपरान्त जो अन्तिम शेष की मात्रा होनी चाहिए, उससे कम मात्रा दर्शाकर सामान का दुरूपयोग कर लिया गया है। जिसका चूककर्ता के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व दुरूपयोग किए गए सामान के मूल्य का वास्तविक निर्धारण करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियो से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। दुरूपयोग किए गए सामान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	स्टॉक रजिस्टर नम्बर/पेज नम्बर	दिनांक	सामान का विवरण	वास्तविक शेष की मात्रा	स्टॉक रजिस्टर में दर्शाई गई 400 ग्राम	अन्तर
1	54/40	3.5.10	माह साबुत	159 किलों 400 ग्राम	158 किलो 400 ग्राम	1 किलोग्राम
2	54/42	20.7.10	माह साबुत	361 किलो 900 ग्राम	331 किलो 900 ग्राम	30 किलोग्राम
3	54/45	31.10.10	माह साबुत	164 किलो 200 ग्राम	164 किलोग्राम	200 ग्राम
4	54/98	28.12.10	रौंगी	49 किलो 600 ग्राम	49 किलो 400 ग्राम	200 ग्राम
5	54/104	9.4.10	तेल	175 किलो 550 ग्राम	165 किलो 550 ग्राम	10 किलो ग्राम

33 लंगर में रसीदों से प्राप्त सामान की जांच करने पर पाया गया कि रसीदों से प्राप्त सामान को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करके या कम मात्रा में सामान दर्ज करके प्राप्त सामान का दुरूपयोग कर लिया गया है। जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व दुरूपयोग किए गए सामान के मूल्य का वास्तविक निर्धारण करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। दुरूपयोग किए गए सामान का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	दिनांक	रसीद संख्या	सामान का विवरण	मात्रा	स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई मात्रा	अन्तर
1	1.3.10	011724	काले चने	1 किलोग्राम	–	1 किलोग्राम
2	25.7.10	12203	चम्मच	5	–	5
3	25.2.10	011711	गुड़	3 किलोग्राम	–	3 किलोग्राम
4	13.4.10	011826	चावल	25 किलोग्राम	–	25 किलोग्राम
5	17.4.10	011833	गुड़	1 किलोग्राम	–	1 किलोग्राम
6	2.6.10	12021	डालडा घी	500 ग्राम	–	500 ग्राम
7	16.7.10	12088	नमक	5 किलोग्राम	–	5 किलोग्राम

34 मन्दिर न्यास की मुक्त आवास सुविधा प्राप्त करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी से मकान किराया भत्ता व लाईसैंस फीस की वसूली न करने बारे:–

आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के कार्यालय पत्र संख्या ए0डी0एम0/कांगड़ा 1222–1234 दिनांक 15.10.10 के अनुसार जिन अधिकरियों/कर्मचारियों को मुक्त आवास सुविधा प्रदान की गई है, उनके वेतन के साथ मकान किराया भत्ता देय नहीं है व उनसे प्रतिमाह सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्रतिमाह लाईसैन्स फीस वसूली जानी अनिवार्य है लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को मुक्त आवास सुविधा प्रदान की गई है व मकान किराए भत्ते का भुगतान भी प्रतिमाह किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन अधिकारियों/कर्मचारियों से सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लाईसैन्स फीस भी नही वसूली जा रही है जो कि अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें मुक्त आवास सुविधा प्रदान की गई है, से मुक्त आवास सुविधा प्रदान करने का नियमों सहित औचित्य अन्यथा इस सुविधा प्रदान करने की तिथि के बाद मकान किराए भत्ते की वसूली करने के साथ–2 सरकार द्वारा निर्धारित दरों से लाईसैन्स फीस की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	पदनाम	मुक्त आवास सुविधा की श्रेणी
1	मन्दिर अधिकारी (तहसीलदार राजस्व विभाग)	टाईप–III
2	सहायक मन्दिर अधिकारी (वरिष्ठ सहायक, भाषा एवं संस्कृति विभाग)	टाईप–II

35 माह 9/10 में परिश्रमिक व अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹3450/–का गलत भुगतान एवं गत वर्षों में दिए जा रहे उक्त प्रकार के गलत भुगतानों की वसूली करने बारेः–

आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के पत्र संख्या ए0डी0एम0/कांगड़ा 1141–1152 दिनांक 4.10.10 के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी व मन्दिर कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त प्रतिमाह क्रमशः परिश्रमिक एवं अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मन्दिर न्यास की आय पर उचित प्रभार नहीं है व निम्नलिखित सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों व मन्दिर कर्मचारियों को देय क्रमशः परिश्रमिक एवं अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि माह 1.9.2010 से बन्द कर दी गई हैं।

क्र0सं0	नाम व पदनाम	भुगतान की जा रही राशि (₹)	भुगतान की प्रकृति
1	तहसीलदार मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी	1500	परिश्रमिक
2	वरिष्ठ सहायक भाषा एवं संस्कृति विभाग सहायक मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी	1000	परिश्रमिक
3	रमेश चन्द, मिस्त्री ज्वालामुखी मन्दिर	800	अतिरिक्त प्रोत्साहन
4	चपड़ासी, भाषा एवं संस्कृति विभाग, ज्वाला मुखी मन्दिर	150	अतिरिक्त प्रोत्साहन
		3450	

उपरोक्त उल्लेखित पत्र के अनुसार उपरोक्त उल्लेखित अधिकारियों/कर्मचारियों को मन्दिर न्यास कोष से देय अतिरिक्त परिश्रमिक व प्रोत्साहन राशि की अदायगी माह 1.9.2010 से बन्द कर दी गई है लेकिन मन्दिर न्यास उपरोक्त उल्लेखित अधिकारियों/कर्मचारियों को माह सितम्बर 2010 का भी भुगतान कर दिया गया है, जो कि आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के सितम्बर 2010 में दी गई आदेशों की अवहेलना है। अतः सम्पूर्ण राशि ₹3450/–उपरोक्त उल्लेखित विवरणानुसार सम्बन्धित आधिकारियों एवं कर्मचारियों से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) इसके अतिरिक्त उक्त प्रकार का भुगतान मन्दिर न्यास कोष पर उचित एवं वैध प्रभार नहीं है। अतः गत वर्षों में उक्त पदों पर कार्यरत्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें उक्त प्रकार का अनियमित एवं गलत भुगतान किए गए है, की गणना करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि प्रथम बार देय भुगतान की तिथि से माह 8/10 तक की वसूली भी अविलम्ब की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 मन्दिर अधिकारी के साथ सम्बद्ध गाड़ी के ₹300/–प्रतिमाह की दर न्यूनतम स्थायी प्रभार न वसूलने बारेः–

आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के पत्र संख्या ए0डी0एम0/कांगड़ा 1307–1317 दिनांक 2.11.2010 के अनुसार मन्दिर अधिकारियों के साथ सम्बद्ध गाड़ियों हेतु प्रतिमाह ₹300/–की दर से न्यूनतम स्थायी प्रभार मन्दिर अधिकारी से वसूले जाने अनिवार्य है लेकिन मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा उक्त आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के आदेशों की अनुपालना में मन्दिर अधिकारी के साथ सम्बद्ध गाड़ी के ₹300/–प्रतिमाह की दर से न्यूनतम स्थायी प्रभार नहीं वसूले गए है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए व अवधि 1.11.10 से 30.9.11 तक 11 माह के ₹300/–की दर से ₹3300/–वसूले जाने अपेक्षित है व तदोपरान्त प्रतिमाह ₹300/– मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी से सम्बद्ध गाड़ी के न्यूनतम स्थायी प्रभार वसूले जाने सुनिश्चित किए जाएं व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

37 अग्रिम राशियों का अस्थाई दुर्विनियोजनः–

जांच के दौरान पाया गया कि मन्दिर अधिकारी व लंगर प्रभारी को वर्ष 2010 के दौरान विभिन्न उद्देश्यों हेतु आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय से अधिक राशियां अग्रिम रूप से प्रदान की गई है व उनके द्वारा शेष बची राशियों को कार्य समाप्ति के तुरन्त बाद मन्दिर कोष में जमा न करवाकर कई–2 सप्ताह तक अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया है। अतः निम्न प्रकरणों में अनावश्यक रूप से न्यास की राशि हस्तगत रखने व अस्थाई दुर्विनियोजन की स्थिति में संलिप्त राशि पर दण्ड ब्याज की वसूली सम्बन्धित चूककर्ता अधिकारी एवं कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही अग्रिम जारी करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वाऊचर संख्या व दिनांक	अग्रिम राशि	व्यय राशि	शेष राशि	शेष राशि जमा करवाने की तिथि	जितने दिन देरी से जमा करवाई गई
1	32 दिनांक 22.1.10	12000	2250	9750	27.2.10	1 माह 2 दिन
2	14 दिनांक 17.1.10	35000	28611	6389	11.2.10	20 दिन
3	93 दिनांक 6.3.10	70000	68502	1498	22.4.10	1 माह 12 दिन

38 अभिलेख का प्रस्तुत न किया जानाः–

श्री विवेक कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की सेवा पंजिका, व्यक्तिगत नस्ति एवं वेतन निर्धारण से सम्बन्धित अन्य अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलस्वरूप उक्त कनिष्ठ अभियन्ता के वेतन निर्धारण व सेवापंजिका की जांच वर्तमान अंकेक्षण में सम्भव नहीं हो सकी। चर्चा के दौरान बताया गया कि उक्त कर्मचारी वर्ष 7/2011 में श्री राम गोपाल मन्दिर डमटाल हेतु स्थानांतरित हो चुका है। बार–2 अनुरोध करने पर भी उक्त कर्मचारी की सेवापंजिका एवं व्यक्तिगत नस्ति सम्बन्धित मन्दिर से जांच हेतु नहीं मंगवाई गई है। यद्यपि उक्त कर्मचारी की सेवापंजिका एवं व्यक्तिगत नस्ति अंकेक्षण मे प्रस्तुत न करने के सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गई है तथापि वर्तमान अंकेक्षण में भी उक्त कर्मचारी की सेवापंजिका एवं व्यक्तिगत नस्ति प्रस्तुत न करना आपत्तिजनक है। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उक्त कर्मचारी को वर्ष 2009 व वर्ष 2010 वेतन के सही भुंगतान की जांच सम्भव हो सके।

39 मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में वरिष्ठ सहायक के स्वीकृत दो पदों के विरूद्ध मन्दिर न्यास में चार वरिष्ठ सहायकों की तैनाती व तदानुसार दो अधिक वरिष्ठ सहायको के वेतन के रूप में मन्दिर न्यास कोष पर लाखों रूपये का अनियमित वित्तीय बोझः–

जांच के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में वरिष्ठ सहायक के दो पद स्वीकृत है जबकि मन्दिर न्यास कोष से चार वरिष्ठ सहायकों का वेतन आहरित हो रहा है। मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में भाषा एवं संस्कृति विभाग की एक वरिष्ठ सहायक भी प्रति नियुक्ति पर तैनात है जिसके फलस्वरूप मन्दिर न्यास कोष से वरिष्ठ सहायक के दो स्वीकृत पदों के विरूद्ध चार वरिष्ठ सहायकों के वेतन एवं भत्ते प्रतिमाह आहरित होने के कारण मन्दिर न्यास कोष पर एक वित्तीय वर्ष में लाखों रूपये का अनावश्यक एवं व्यर्थ वित्तीय बोझ पड़ रहा है जिसका सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके संलिप्त व्यय को नियमित करवाया जाए तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि स्वीकृति पदों से

अधिक मात्रा में तैनात वरिष्ठ सहायकों के वेंतन एवं भत्तों के रूप में प्रति वर्ष मन्दिर न्यास कोष पर पड़ रहे लाखों रूपये के अनावश्यक एवं व्यर्थ वित्तीय बोझ को कम करने हेतु तुरन्त प्रभावी कार्रवाई अमल मे लाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

40 **लधु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

41 **निष्कर्षः—** लेखों के रखरखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)(एच)(2)सी (15)(11)(14) 188 / 96—खण्ड—1—1774—1777
दिनांक, 19.03.2012, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :—

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।

2 प्रधान सचिव (भाषा) एवम् मुख्य आयुक्त (मन्दिर) हि0प्र0 सरकार, शिमला—2

3 निदेशक, (भाषा कला एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 शिमला—9

4 आयुक्त मन्दिर एवं उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः .... दिनांक, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :—

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास .... (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।

2 प्रधान सचिव (भाषा) एवम् मुख्य आयुक्त (मन्दिर) हि0प्र0 सरकार, शिमला—2

5 निदेशक, (भाषा कला एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 शिमला—9

6 आयुक्त मन्दिर एवं उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 1.1.2010 से 31.12.2010 का संक्षिप्त सार

9 ₹52,15,799/—वर्ष 2010 के दौरान बारीदारों को अनियमित एवं अधिक भुगतानः—

14 तृतीय श्रेणी व स्थायी वेतन पर नियुक्त बेलदारों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमों के विपरीत वर्दी भत्ता प्रदान करने के कारण मन्दिर न्यास कोष को ₹60300/—की वित्तीय हानि

23 कॉमन पूल को अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई राशि 4 लाख रूपये बारेः—

24 डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को दी गई राशि ₹20 लाख के बारेः—

26 बजट में प्रावधान के बगैर किए गए व्यय राशि ₹1133663/—के बारेः—

27 ₹892353/—वर्ष 2010 में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करने बारेः—

39 मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में वरिष्ठ सहायक के स्वीकृत दो पदों के विरूद्ध मन्दिर न्यास में चार वरिष्ठ सहायकों की तैनाती व तदानुसार दो अधिक वरिष्ठ सहायको के वेतन के रूप में मन्दिर न्यास कोष पर लाखों रूपये का अनियमित वित्तीय बोझः—